

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी 2019—पौष 21, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2018

क्र. ई.-5-843-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीरज दुबे, आयएस., आयुक्त, हाथ करघा एवं हस्त शिल्प, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हाथ करघा एवं हस्त शिल्प विकास निगम को दिनांक 29 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2018 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री नीरज दुबे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, हाथ करघा एवं हस्त शिल्प मध्यप्रदेश, भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हाथ करघा एवं हस्त शिल्प विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री नीरज दुबे द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयुक्त, हाथ करघा एवं हस्त शिल्प, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हाथ करघा एवं हस्त शिल्प विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगीं.

(5) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. सिंह, मुख्य सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 1(ए) 347-1985-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे-83 पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 28-29 एवं 31 दिसम्बर 2018 व 1 जनवरी 2019 तक कुल चार दिवस आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार सहित दिल्ली की यात्रा एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | | |
|--------------------------|---|--------|
| 1. श्री ऋषि कुमार शुक्ला | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती नीलम शुक्ला | — | पत्नी |
| 3. कु. प्रतिष्ठा शुक्ला | — | पुत्री |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंजु पवन भदौरिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 1(ए)62-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक सागर जोन सागर को दिनांक 7 से 16 जनवरी 2019 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 6 जनवरी 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष 2018 में मदुराई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी (दक्षिण भारत) भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | | |
|-------------------------|---|--------|
| 1. श्री राकेश कुमार जैन | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती रजनी जैन | — | पत्नी |
| 3. कु. रोली जैन | — | पुत्री |
| 4. सूर्यन जैन | — | पुत्र |

(2) श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, का चालू कार्य श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ला, भापुसे, पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक सागर जोन सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 107-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेन्ज रतलाम को दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 23 दिसम्बर 2018 व 6 जनवरी 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री गौरव तिवारी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रतलाम द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेन्ज रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 66-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री आर. ए. चौबे, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज होशंगाबाद को दिनांक 17 से 26 दिसम्बर 2018 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री आर. ए. चौबे, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री अरविन्द सक्सेना, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. ए. चौबे, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आर. ए. चौबे, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आर. ए. चौबे, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. ए. चौबे, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)29-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री रियाज इकबाल, भापुसे., पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली को दिनांक 18 से 28 दिसम्बर 2018 तक, कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष 2018 में गृह नगर कोल्लम (केरला) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. श्री रियाज इकबाल	—	स्वयं
2. श्रीमती दिव्या मोहन	—	पत्नी
3. कु. दिया डी. रियाज	—	पुत्री

(2) श्री रियाज इकबाल, भापुसे, का चालू कार्य श्री प्रदीप शेन्डे, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला-सिंगरौली द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रियाज इकबाल, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री रियाज इकबाल, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री रियाज इकबाल, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रियाज इकबाल, भापुसे., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)31-2009-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2018 को निरस्त करते हुए राज्य शासन, श्री कुमार सौरभ, भापुसे 2007, पुलिस अधीक्षक शहडोल को दिनांक 26 दिसम्बर 2018 से 4 जनवरी 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 25 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में पोर्ट ब्लेयर की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. श्री कुमार सौरभ	—	स्वयं
2. श्रीमती मेघा सिन्हा	—	पत्नी
3. कु. प्रियांशी सहाय	—	पुत्री
4. श्री आरव	—	पुत्र

(2) श्री कुमार सौरभ, भापुसे, का चालू कार्य श्री प्रवीण भूरिया, रापुसे., अति. पुलिस अधीक्षक, जिला-शहडोल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कुमार सौरभ, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री कुमार सौरभ, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री कुमार सौरभ, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार सौरभ, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)163-1989-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री आर. के. टण्डन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2018 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्डवर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) मुम्बई भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. श्री आर. के. टण्डन	—	स्वयं
2. श्रीमती सीमा टण्डन	—	पत्नी

(2) श्री आर. के. टण्डन भापुसे, का चालू कार्य श्री संजीव शमी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ए. टी. एस.पु.मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. टण्डन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर. के. टण्डन, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. टण्डन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. टण्डन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 1(ए) 192-1991-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2018 को संशोधित करते हुए, राज्य शासन, द्वारा श्री विपिन कुमार माहेश्वरी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रबंध), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 24 व 26 दिसम्बर 2018 से 29 दिसम्बर 2018 तक, कुल पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 23, 25 व 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) जम्मू एवं कश्मीर भ्रमण की अनुमति अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

क्र. एफ. 1(ए) 268-1986-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे-85, महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय, भोपाल को दिनांक 29 दिसम्बर 2018 से 7 जनवरी 2019 तक, कुल 10 दिवस अर्जित अवकाश खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) गृह नगर कानपुर (उ. प्र.) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | | |
|----------------------------|---|-------|
| 1. श्री राजेन्द्र कुमार | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती शुचि श्रीवास्तव | — | पत्नी |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 1(ए)05-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर 2018 तक, इकतीस दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 62 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)60-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री सम्पत उपाध्याय, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, पीटीएस तिघरा, ग्वालियर को दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2018 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 23 व 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष 2018 में गृह नगर गाजीपुर (उ. प्र.) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | | | |
|---|-------------------------|---|--------|
| 1 | श्री सम्पत उपाध्याय | — | स्वयं |
| 2 | श्रीमती दीपशिखा शर्मा | — | पत्नी |
| 3 | कुमारी नीवा उपाध्याय | — | पुत्री |
| 4 | श्रीमती माधुरी उपाध्याय | — | माताजी |

(2) श्री सम्पत उपाध्याय, भापुसे का चालू कार्य श्री अताउल्लाह सिद्दीकी, रापुसे, उप सेनानी, पीटीएस, तिघरा जिला-ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सम्पत उपाध्याय, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, पीटीएस तिघरा, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सम्पत उपाध्याय, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सम्पत उपाध्याय, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सम्पत उपाध्याय, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 1(ए)147-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, जेल, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 22 से 29 दिसम्बर 2018 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, जेल, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)28-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे-06, भापुसे, सेनानी 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर को दिनांक 12 से 22 दिसम्बर 2018 तक, कुल नौ दिवस अर्जित खण्ड वर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) में पुरी, (उड़ीसा) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1	डॉ. हिमानी खन्ना	—	स्वयं
2	श्रीमती विनीत खन्ना	—	पत्नी

(2) डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे का चालू कार्य श्री एम. एल. छारी, भापुसे, सेनानी 14वीं वाहिनी, विसबल, जिला-ग्वालियर द्वारा अपने अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सेनानी 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)165-1994-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, (सामुदायिक पुलिसिंग), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 30 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2018 तक, पांच दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 10 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (सामुदायिक पुलिसिंग), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2019

क्र. एफ 1(ए)30-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री अमन सिंह राठौड़, भापुसे अति. पुलिस अधीक्षक, शहर (पूर्व) ग्वालियर का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 30 अगस्त से 6 सितम्बर 2018 तक, आठ दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 16 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमन सिंह राठौड़, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में श्री अमन सिंह राठौड़, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमन सिंह राठौड़, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

फा. क्र. 5690-इक्कीस-ब (दो)-2018.—राज्य शासन, एतद्वारा, समसंख्यक आदेश दिनांक 31 जुलाई 2017 द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, खंडपीठ इन्दौर में नियुक्त श्री मनोज द्विवेदी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, इन्दौर के पद से उनके द्वारा प्रेषित त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत करते हुए उन्हें कार्यमुक्त करता है।

फा. क्र. 5690-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन की जाती है:—

अतिरिक्त महाधिवक्ता, इन्दौर

(1) श्री वीर कुमार जैन, अधिवक्ता

उप महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, इन्दौर

(1) श्री अभिनव पी. धनोदकर, अधिवक्ता

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक) 6390.—(मेरिट क्र. 31).—राज्य शासन, सुश्री दिव्या गुप्ता पुत्री श्री सुशील कुमार गर्ग को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला करनाल (हरियाणा) है। उसकी जन्मतिथि 27 जनवरी, 1994 है।

फा. क्र. 17-(ई)-83-03-इक्कीस-ब-(एक)-5846-018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन ने अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक)-5846-018, दिनांक 7 दिसम्बर 2018 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रकाशित हुई थी, के द्वारा विशेष न्यायालयों को अधिसूचित किया है।

राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषणा करता है कि अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचित विशेष न्यायालय में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पदस्थ उच्च न्यायिक सेवाओं के संवर्ग में के किसी न्यायाधीश को, उक्त अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(One)-5846-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003, the State Government has notified Special Court *vide* Notification No. F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(One)-5846-2018, dated 7th December, 2018, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 21st December 2018.

The State Government, hereby, declares that any Judge in the cadre of Higher Judicial Services posted by the High Court of Madhya Pradesh in the notified Special Court under sub-section (1) of Section 153 of the said Act, shall be deemed to be appointed by the the State Government in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh.

Bhopal, the 29th December 2018

F.No. 5692-XXI-B(II)-2018.—The State Government is pleased to appoint Sh. Rahul Kaushik, Advocate Supreme Court, New Delhi, as Standing Counsel for the State of Madhya Pradesh to represent the state in the Supreme Court of India, other Courts, Tribunals & Forums at New Delhi from the date of this order. His appointment can be terminated by the State Government any time without assigning any reason. Terms & conditions of his appointment shall be as per this department's order No. 1 (A)7/2005/XXI-B(II), Dated 4th July, 2012. The expenditure on this account will be debited to Grant 29-2014-Administration of Justice-(114)-Legal Advisors and Counsel (6251)-Fees and other payments to Advocates of the High Court/Supreme Court (31)-payment of Professional Services (003)-Fees to pleader.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-16-18-2013-बी-ग्यारह.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को अधिकाधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2018) एवं 'मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति-2017' अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया है:—

1. उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2018) की कंडिका क्र. 10 वित्तीय सहायता में नवीन कंडिका क्रमांक 10.1.5 को निम्नानुसार स्थापित किया जावे:—

“उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2018) अन्तर्गत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाइयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिया जाना अनिवार्य होगा.”

2. उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2018) के क्रियान्वयन हेतु वृहद श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 (यथा संशोधित 2018) को इस आशय तक संशोधित माना जावेगा. उक्त प्रावधान इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाइयों पर प्रभावी होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2018

क्र. 7-5-2016-छह.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण में राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये अध्यक्ष श्री विजय दुबे एवं श्री महेन्द्र सिंह (चाचू बना), उपाध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगणों का मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.

किरण मिश्रा, उपसचिव.

संसदीय कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2018

क्र. 1469-एफ (2)-25-05-दो-अड़तालीस.—पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ की प्रबंध समिति का गठन आदेश क्रमांक 116-एफ(2)25-05-दो-अड़तालीस, दिनांक 22 जनवरी 2018 द्वारा किया गया था.

(2) चतुर्दश विधान सभा का विघटन होने के फलस्वरूप उक्त आदेश, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र सोनूने, उपसचिव.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-5-21-2017-अ-तेहत्तर.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को अधिकाधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2017 की कंडिका '13-रियायतें' की उपकंडिका क्रमांक 13.8 के पश्चात् निम्नानुसार प्रावधान जोड़ा जाता है:—

“13.9 इस नीति अन्तर्गत प्रावधानित रियायतों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाइयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिया जाना अनिवार्य होगा.”

(2) मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2017 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को सहायता हेतु किये गये प्रावधानों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा लागू मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2017 को इस आशय तक संशोधित माना जावेगा. उक्त प्रावधान इस आदेश के जारी होने की दिनांक के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाइयों पर प्रभावी होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज अग्रवाल, प्रमुख सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 10 दिसम्बर 2018

क्र. 11378-एस.सी.शाखा-2018.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2019 हेतु जिला रायसेन के लिये निर्मांकित तिथियों का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है:—

स. क्र. (1)	दिनांक (2)	दिन (3)	अवकाश का नाम (4)
1	25 मार्च 2019	सोमवार	रंगपंचमी
2	29 अक्टूबर 2019	मंगलवार	भाई दूज (दीपावली)
3	9 दिसम्बर 2019	सोमवार	उर्स

उक्त अवकाश जिले के कोषालय/उप कोषालयों के लिये लागू नहीं होंगे.

षणमुख प्रिया मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

रायसेन, दिनांक 26 दिसम्बर 2018

क्र. 11569.—मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2-(क)-09-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर नव निर्मित थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर को अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उपसचिव भी घोषित किया गया है.

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-2-(क)-10-20-15-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2018 द्वारा जिला रायसेन में चौकी गौहरगंज, थाना औ.गंज का थाना गौहरगंज में उन्नयन स्थापना की जाना है.

अतएव दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सरल क्र. 2) की धारा 2 के खण्ड (एस) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना की तारीख से:—

(एक) नीचे दी गई सारणी में कॉलम (2) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है, और

(दो) "चौकी गौहरगंज" जो जिला रायसेन के पुलिस थाना औबेदुलगांज, तहसील गौहरगंज के अन्तर्गत है को सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उन्नयन पुलिस थाना गौहरगंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन में सम्मिलित करती है:—

सारणी

क्र.	उस पुलिस थाने का नाम, तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम
(1)	(2)	(3)
1	पुलिस थाना औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.	गौहरगंज

(1)	(2)	(3)
2	पुलिस थाना औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.	अमोदा
3	— " —	बीलखेडी
4	— " —	उदयपुर
5	— " —	घाना
6	— " —	चोपडा
7	— " —	गुटवारा
8	— " —	नयापुरा सोडरपुर
9	— " —	डगरवाडा
10	— " —	धामधूसर
11	— " —	साजडी
12	— " —	भदोडा
13	— " —	नन्दोरा
14	— " —	ठीकरी
15	— " —	बडवाई
16	— " —	डुंगरिया
17	— " —	हाथीप्लान
18	— " —	आलमपुर
19	— " —	पांजरा
20	— " —	झांझई
21	— " —	मोकलवाडा
22	— " —	उमरिया
23	— " —	बोरपानी
24	— " —	बांदरचूहा
25	— " —	गेरूआ
26	— " —	समनापुर
27	— " —	अगरिया
28	— " —	आमखी
29	— " —	खोदरा
30	— " —	करकवानी
31	— " —	सर्रा
32	— " —	सीहोरा
33	— " —	हाथी खो
34	— " —	बरूआ
35	— " —	बराखेडा
36	— " —	लालाखेडी
37	— " —	पिपरिया गोली
38	— " —	जटानपुर
39	— " —	डोब
40	— " —	खाडी
41	— " —	पीपल चौक
42	— " —	झिरिया खो
43	— " —	लोलाट
44	— " —	पाझिर

(1)	(2)	(3)
45	पुलिस थाना औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.	चिकलोद कलां
46	— " —	बरवटपुर
47	— " —	बीजोर
48	— " —	भूरी टेकरी
49	— " —	खोहा गाडाखेर
50	— " —	बोरदा
51	— " —	अमरथोन
52	— " —	कामतोन
53	— " —	कांसिया
54	— " —	सौंथर
55	— " —	चमरिया
56	— " —	महोली
57	— " —	पिपलिया
58	थाना सुल्तानपुर	बिनेका
59	— " —	लुलका
60	थाना रायसेन	बरूखार
61	— " —	मेहरमांगा

षणमुख प्रिया मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश)

इन्दौर, दिनांक 18 दिसम्बर 2018

क्र. 2661-री.ए.डी.एम.-2018.—आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर एवं प्रबंध निदेशक, अटल इन्दौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक 5161-एआईसीटीएसएल-2018, दिनांक 5 अक्टूबर 2018 द्वारा अटल इन्दौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के प्रधान कार्यालय स्थान 30, रेसीडेंसी एरिया, ए. बी. रोड (एम. जी. एम. मेडिकल कॉलेज के सामने) इन्दौर को यात्रियों की सुविधा के लिये बसों के आवागमन हेतु यात्री बस पिकअप स्टेशन घोषित किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः प्रमुख प्रस्ताव का अवलोकन किया गया. प्राप्त प्रस्ताव से सहमत होते हुवे मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 203 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 117 में विहित प्रावधानों के अनुपालन में मैं निशांत वरवड़े, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर शहर में संचालित अटल इन्दौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के प्रधान कार्यालय स्थान 30 रेसीडेंसी एरिया, ए. बी. रोड (एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज के सामने), इन्दौर को यात्रियों की सुविधा के लिये बसों के आवागमन हेतु यात्री बस पिकअप स्टेशन घोषित करता हूँ:—

उपरोक्त आदेश विभिन्न विभागों तथा जन-सामान्य आदि से प्राप्त सूचनाओं तथा अन्य निष्कर्षों के आधार पर उक्त आदेश को पूर्णतः/ अंशतः यथा अपेक्षित संशोधित किया जा सकेगा. यह आदेश एक, मास की अवधि तक प्रभावशील रहेगा, निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति आदि प्राप्त न होने पर यह अधिसूचना स्वतः अमल में आवेगी.

निशांत वरवड़े, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 21 दिसम्बर 2018

क्र. 12367-एस. डब्ल्यू.-2018.—मै, के. वी. एस. चौधरी, कलेक्टर, जिला कटनी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला कटनी (म. प्र.) द्वारा मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-2(क)-15-99-बी-3-दो भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 एवं परिपत्र क्रमांक एफ-2(क)9-08-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर थानों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की समिति को प्रत्यायोजित किये जाने से जिला स्तरीय समिति द्वारा कटनी जिले में पुलिस चौकी बाकल के निम्नलिखित ग्रामों को पुलिस थाना बाकल में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची अनुसार एवं पुलिस चौकी रंगनाथ नगर के वार्डों को थाना रंगनाथ नगर में सम्मिलित किये जाने की सूची अनुसार अधिसूचना प्रकाशित करता हूँ:—

पुलिस थाना बाकल में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची :-

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1	बाकल
2	इमलिया
3	सिहुड़ी
4	खम्हरिया
5	मंगेला
6	पिपरिया राजा
7	पटोरीकला
8	राजा सलैया
9	अमाड़ी
10	चनपुरा
11	कूड़ा (मर्दानगढ़)
12	खमतरा
13	मझगवां
14	निगझर
15	अगौध
16	पटौहा
17	बधराज
18	बासन
19	बरबसपुरा
20	मढ़िया
21	नगवां
22	संकरवारा
23	मर्दानगढ़
24	सिकारपुरा
25	कुम्हरवारा
26	खुर्सी

(1)

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

पुलिस थाना रंगनाथ नगर में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची :

क्रमांक

(1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

वार्ड का नाम

(2)

मदनमोहन चौबे वार्ड

पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड

वंशरूप वार्ड

सी.एल.पी. वार्ड

रामनिवास सिंह वार्ड

कावस जी वार्ड

फारेस्टर वार्ड

विवेकानंद वार्ड

रामकृष्ण परमहंस वार्ड

राजेन्द्र पसाद वार्ड

के. वी. एस. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2 018

क्र. एस. डब्ल्यू-2018-311.—भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र/ग्रामों को प्रस्तावित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से—

- (1) उस थाने से जो की नीचे दी गई सारणी कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती है, और ;
- (2) पुलिस थाना शुजालपुर मंडी जो कि जिला शाजापुर की तहसील शुजालपुर में है पुलिस थाना घोषित करती है और यह निर्देश देती है कि उसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. (3) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, ग्राम सम्मिलित होंगे:—

सारणी

क्र.	पुलिस थाने का नाम, तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया जाना है	पुलिस थाना शुजालपुर मंडी जिसमें सम्मिलित किया जाना है
(1)	(2)	(3)
1	थाना शुजालपुर, तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर	शुजालपुर मंडी सम्पूर्ण क्षेत्र
2	ग्राम पत्थर की अमलाय	ग्राम पत्थर की अमलाय
3	ग्राम झाड़ला	ग्राम झाड़ला
4	ग्राम बनाहेड़ी	ग्राम बनाहेड़ी
5	ग्राम सटेण्डी	ग्राम स्टेण्डी
6	ग्राम लसुड़लिया हेजम	ग्राम लसुड़लिया हेजम
7	ग्राम मउघांट	ग्राम मउघांट
8	ग्राम बावनहेड़ा	ग्राम बावनहेड़ा
9	ग्राम देहण्डी	ग्राम देहण्डी
10	ग्राम मगरानिया	ग्राम मगरानिया
11	ग्राम भादाहेड़ी	ग्राम भादाहेड़ी
12	ग्राम भ्याना	ग्राम भ्याना
13	ग्राम फतेहपुर	ग्राम फतेहपुर
14	ग्राम जामनेर	ग्राम जामनेर
15	ग्राम जेठड़ा	ग्राम जेठड़ा
16	ग्राम राणोगंज	ग्राम राणोगंज
17	ग्राम रसलपुर	ग्राम रसलपुर
18	ग्राम किशोनी	ग्राम किशोनी
19	ग्राम भूगोर	ग्राम भूगोर
20	ग्राम भीलखेड़ी	ग्राम भीलखेड़ी
21	ग्राम भोगीपुर	ग्राम भोगीपुर
22	ग्राम डुंगलाय	ग्राम डुंगलाय

(1)	(2)	(3)
23	ग्राम कमलिया	ग्राम कमलिया
24	ग्राम नान्दासुरा	ग्राम नान्दासुरा
25	ग्राम गेरखेड़ी	ग्राम गेरखेड़ी
26	ग्राम डाबरी	ग्राम डाबरी
27	ग्राम गुर्दाखेड़ी	ग्राम गुर्दाखेड़ी
28	ग्राम धोलपुर	ग्राम धोलपुर
29	ग्राम हिराना	ग्राम हिराना
30	ग्राम नान्याखड़ी	ग्राम नान्याखड़ी
31	ग्राम शिवपुरा	ग्राम शिवपुरा
32	ग्राम मेरखेड़ी	ग्राम मेरखेड़ी

बेचिराग गांव

1	ग्राम महेशपुरा	ग्राम महेशपुरा
2	ग्राम खासपुरा	ग्राम खासपुरा
3	ग्राम फफती	ग्राम फफती
4	ग्राम असगरीपुरा	ग्राम असगरीपुरा
5	ग्राम फरीदपुर	ग्राम फरीदपुर

श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म. प्र.)

राजभवन, भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2019

क्र. एफ-1-6-18-रा.स.-यू.ए.1-02.—राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर में राज्य शासन द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर 2018 से राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2009 की धारा 57 के प्रावधान प्रभावशील किए जाने के फलस्वरूप आदेश क्रमांक एफ-1-6-18-रा.स.-यू.ए.1-1640, दिनांक 3 अक्टूबर 2018 के द्वारा अपर मुख्य सचिव, संस्कृति विभाग को उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का कार्य संपादित करने हेतु नियुक्त किया गया था, जिनका स्थानांतरण अन्य विभाग में हो गया है.

(2) अतः, राज्य शासन के परामर्श अनुसार राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म. प्र.) के कुलपति के पद का प्रभार श्रीमती रेनु तिवारी, वर्तमान सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, भोपाल को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए सौंपा जाता है.

आनंदीबेन पटेल, कुलाध्यक्ष.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 12710-अ- 2017-2018

धार, दिनांक 17 सितम्बर 2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में लबरावदा-गरडावद-बिलौदा-तीसगॉव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- गरडावद

तहसील - धार जिला धार

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	लबरावदा-गरडावद-बिलौदा-तीसगॉव-खैरोद मार्ग के निर्माण हेतु	0.400	0.000	0.400
	योग	0.400	0.000	0.400

अनुसूची (2)

लबरावदा-गरडावद-बिलौदा-तीसगॉव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित ग्राम गरडावद तहसील धार जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण

क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	धीरज पिता दुलेसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम गरडावद	1045/2	2.327	0.000	2.327	0.060	0.000	0.060
2	रमेशचन्द्र पिता घिसा जाति दांगी निवासी ग्राम गरडावद	1036	2.440	0.000	2.440	0.190	0.000	0.190
3	मनोहरसिंह पिता घिसा जाति दांगी निवासी ग्राम गरडावद	852	0.304	0.000	0.304	0.110	0.000	0.110
4	दुलेसिंह पिता घिसा जाति दांगी निवासी ग्राम गरडावद	856	0.240	0.000	0.240	0.040	0.000	0.040
	योग :-		5.311	0.000	5.311	0.400	0.000	0.400

प्र. क्र. 12992-अ- 2017-2018

धार, दिनांक 20/25 सितम्बर 2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में लबरावदा-गरडावद-बिलौदा-तीसगाँव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- तीसगाँव

तहसील - धार जिला धार

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	लबरावदा-गरडावद-बिलौदा-तीसगाँव-खैरोद मार्ग के निर्माण हेतु	0.060	0.000	0.060
	योग	0.060	0.000	0.060

अनुसूची (2)

लबरावदा-गरडावद-बिलौदा-तीसगाँव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित ग्राम तीसगाँव तहसील धार जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण

क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	छितर, तोलाराम, कचनबाई, सुन्दरबाई, गोकुलबाई पिता गंगाराम जाति चमार निवासी ग्राम तीसगाँव	324	0.506	0.000	0.506	0.060	0.000	0.060
	योग :-		0.506	0.000	0.506	0.060	0.000	0.060

प्र. क्र. 12999-अ- 2017-2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में लबरावदा-गरडावद-बिलौदा-तीसगॉव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- गुराडिया

तहसील - धार जिला धार

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	लबरावदा-गरडावद-बिलौदा-तीसगॉव-खैरोद मार्ग के निर्माण हेतु	0.150	0.000	0.150
	योग	0.150	0.000	0.150

अनुसूची (2)

लबरावदा-गरडावद-बिलौदा-तीसगॉव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित ग्राम गुराडिया तहसील धार जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण

क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	देवचंद पिता भागीरथ जाति कुलमी निवासी ग्राम आहू	16	1.619	0.000	1.619	0.150	0.000	0.150
	योग :-		1.619	0.000	1.619	0.150	0.000	0.150

प्र. क्र. 13001-अ- 2017-2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में लबरावदा-गरडावद-बिलौदा-तीसगॉव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- खैरोद

तहसील - धार जिला धार

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	लबरावदा-गरडावद-बिलौदा-तीसगॉव-खैरोद मार्ग के निर्माण हेतु	0.010	0.000	0.010
	योग	0.010	0.000	0.010

अनुसूची (2)

लबरावदा-गरडावद-बिलौदा-तीसगॉव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित ग्राम खैरोद तहसील धार जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण

क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	जमुनाबाई पति स्व. अमरसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम खैरोद	466	0.885	0.000	0.885	0.010	0.000	0.010
	योग :-		0.885	0.000	0.885	0.010	0.000	0.010

प्र. क्र. 13005-अ- 2017-2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में लबरावदा-गरडावद-बिलौदा-तीसगाँव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- लबरावदा

तहसील - धार जिला धार

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	लबरावदा-गरडावद-बिलौदा-तीसगाँव-खैरोद मार्ग के निर्माण हेतु	0.000	0.042	0.042
	योग	0.000	0.042	0.042

अनुसूची (2)

लबरावदा-गरडावद-बिलौदा-तीसगाँव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित ग्राम लबरावदा तहसील धार जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण

क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	फूलसिंह पिता लालसिंह व अयोध्याबाई पति स्व. लालसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम लबरावदा	160/3/2	0.000	0.021	0.021	0.000	0.021	0.021
2	नारायण पिता लालसिंह व अयोध्याबाई पति स्व. लालसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम लबरावदा	160/3/1	0.000	0.021	0.021	0.000	0.021	0.021
	योग :-		0.000	0.042	0.042	0.000	0.042	0.042

प्र. क्र. 19807-अ- 2017-2018

धार, दिनांक 20 दिसम्बर 2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में लबरावदा-गरडावद-बिलोदा-तीसगॉव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- बिलोदा

तहसील - धार जिला धार

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	लबरावदा-गरडावद-बिलोदा-तीसगॉव-खैरोद मार्ग के निर्माण हेतु	2.086	0.196	2.282
	योग :	2.086	0.196	2.282

अनुसूची (2)

लबरावदा-गरडावद-बिलोदा-तीसगॉव-खैरोद मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित ग्राम बिलोदा तहसील धार जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण

क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	शकुन्तलाबाई पति स्व. कैलाश, प्रवीणकुमार पिता कैलाश जाति जैन निवासी ग्राम बिलोदा	437/1/1	1.480	0.000	1.480	0.052	0.000	0.052
2	जयप्रकाश पिता प्रमुदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम बिलोदा	52/1	1.770	0.000	1.770	0.028	0.000	0.028
3	राजेश पिता रणजीतसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बिलोदा	53	1.316	0.000	1.316	0.370	0.000	0.370
4	रुकमाबाई पति स्व. रणछोड जाति अहीर निवासी ग्राम बिलोदा	52/2/2	2.000	0.000	2.000	0.040	0.000	0.040
5	सीमाबाई पति रामदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम बिलोदा	50/2	1.587	0.000	1.587	0.060	0.000	0.060
6	मांगुबाई पति रामश्वर जाति अहीर निवासी ग्राम बिलोदा	50/1	1.587	0.000	1.587	0.035	0.000	0.035
7	हिन्दुसिंह पिता नानुराम जाति बागरी निवासी ग्राम बिलोदा	48/2/1/1	1.370	0.000	1.370	0.152	0.000	0.152
		48/2/3	0.405	0.000	0.405	0.038	0.000	0.038
9	गोपाल पिता आत्माराम जाति तैली निवासी ग्राम बिलोदा	48/2/2	1.985	0.000	1.985	0.190	0.000	0.190
10	प्रतिक, समिर, स्मृति पिता शांतिलाल अयोध्याबाई पति स्व. शांतिलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बिलोदा	48/2/1/2	0.000	0.230	0.230	0.000	0.028	0.028
11	कालूसिंह, बालिंग खीमा, धन्ना, मनीराम गोपाल पिता मानसिंग, गीताबाई, राधाबाई पिता भानसिंह अ.पा.कर्ता माता बालीबाई व बालीबाई पति स्व. मानसिंग जाति भील निवासी ग्राम बिलोदा	48/3	0.834	0.000	0.834	0.114	0.000	0.114
12	हिन्दुसिंह पिता नानुराम जाति बागरी निवासी ग्राम बिलोदा	37	0.708	0.000	0.708	0.044	0.000	0.044

13	कल्याणसिंह, जसवंतसिंह पिता राजाराम मैनाबाई पति स्व. राजाराम जाति राजपुत निवासी ग्राम बिलौदा	23/2	21.630	0.000	21.630	0.088	0.000	0.088
14	मोहनलाल पिता रतनलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बिलौदा	36	0.784	0.000	0.784	0.035	0.000	0.035
15	भारतसिंह, लालसिंह, विक्रमसिंह कालुसिंह रतनबाई पिता भेरूसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बिलौदा	71/1	0.000	0.093	0.093	0.000	0.040	0.040
16	बनेसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बिलौदा	70/2	0.000	0.211	0.211	0.000	0.060	0.060
17	नारायणसिंह पिता पुंजराज जाति राजपुत निवासी ग्राम बिलौदा	72	0.835	0.000	0.835	0.114	0.000	0.114
18	कैलाश पिता परसराम जाति अहीर निवासी ग्राम बिलौदा	73	0.291	0.000	0.291	0.114	0.000	0.114
19	गोपालसिंह पिता बहादुरसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बिलौदा	86	0.291	0.000	0.291	0.126	0.000	0.126
20	राजेश पिता रणजितसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बिलौदा	87/1	0.050	0.000	0.050	0.028	0.000	0.028
21	बसन्तकुमारसिंह पिता कन्हैयालाल जाति अहीर निवास ग्राम बिलौदा	87/2	0.000	0.051	0.051	0.000	0.028	0.028
22	जानकीलाल पिता शोभाराम, प्रविण, सुरेश मीरा पिता जानकीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बिलौदा	113	0.455	0.000	0.455	0.048	0.000	0.048
23	कालू सागर पिता हरिकिशन, राजुबाई पति स्व. हरिकिशन जाति तैली निवासी ग्राम बिलौदा	104/1	0.114	0.000	0.114	0.020	0.000	0.020
24	रामरतन पिता गेंदालाल जाति तैली निवासी ग्राम बिलौदा	104/2	0.253	0.000	0.253	0.030	0.000	0.030
25	प्रेमाबाई पति विश्राम जाति बलाई निवासी ग्राम बिलौदा	110/1/1	0.662	0.000	0.662	0.035	0.000	0.035
26	गोपाल पिता मुन्नालाल जाति अहीर निवासी ग्राम बिलौदा	163	3.794	0.000	3.794	0.198	0.000	0.198
27	छगन पिता गोस्वधन जाति राजपुत निवासी ग्राम बिलौदा	164	2.140	0.000	2.140	0.092	0.000	0.092
28	भागवन्तीबाई पति स्व. जगमोहन, मुकेश, राजेश पिता जगमोहन जाति अहीर निवासी ग्राम बिलौदा	156/1	0.000	0.156	0.156	0.000	0.032	0.032
29	मथुरालाल पिता कन्हैयालाल, शांतिबाई पति स्व. कन्हैयालाल जाति अहीर निवासी ग्राम बिलौदा	156/2	0.000	0.156	0.156	0.000	0.008	0.008
30	रमेशगीर, मदनगीर, मोहनगीर पिता नर्मदागीर, मुन्नीबाई पति स्व. जगदीशगीर, दशरथगीर बा. राहुलगीर ना.बा. पिता जगदीशगीर पा.कर्ता. माता मुन्नीबाई, राजुबाई पति स्व. नर्मदागीर, मांगुगीर, नाथुगीर, शांतिबाई पिता गुलाबगीर, गंगाबाई पति स्व. गुलाबगीर, भेरुगीर, बालूगीर बालिग सुभाषगीर पिता लक्ष्मणगीर, अ.पा.कर्ता माता धुलीबाई व धुलीबाई पति स्व. लक्ष्मणगीर जाति गुसाई निवासी ग्राम बिलौदा	110/1/2	0.566	0.000	0.566	0.035	0.000	0.035
योग :-			46.907	0.897	47.804	2.086	0.196	2.282

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. अ-82-02-भू-अर्जन-अतिरिक्त-उ.म.रे.-2017-18

मुरैना, दिनांक 6 अक्टूबर 2018

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये अतिरिक्त भूमि ग्राम- जयपुर उर्फ नयागांव तहसील- मुरैना, उपखण्ड- मुरैना, जिला-मुरैना में कुल किता 20 रकवा 2.196 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील- मुरैना के ग्राम- जयपुर उर्फ नयागांव, प0ह0न0- 89, रा0नि0वृत-08 में उक्त परियोजना के लिये 2.196 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	772	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.114	महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता बुददीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी
2	773	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.026	महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता बुददीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी
3	774	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.159	सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन सूरजबाई वेबा रामवरन पूजा नेमोदेवी पुत्रियों रामवरन समान भाग जाति राठौर पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
4	775/1 1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.380	सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन सूरजबाई वेबा रामवरन पूजा नेमोदेवी पुत्रियों रामवरन समान भाग जाति राठौर पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
5	775/1 1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		कुंअरपाल रकवा 0.209 संतोषीलाल रकवा 0.449 बच्चू सिंह रकवा 0.209 पुत्र रामजीत सिंह रामजीत दयाराम रकवा 0.627 जाति राठौर पता नि0 ग्राम थाना का पुरा भूमिस्वामी।
6	775/1 /2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता बुददीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी
7	775/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन सूरजबाई वेबा रामवरन पूजा नेमोदेवी

					पुत्रियाँ रामवरन समान भाग जाति राठोर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी
8	778	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.450	महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता बुद्धीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी
9	780/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.115	पूरनसिंह ,रणवीरसिंह ,गब्बरसिंह ,चौबेसिंह पुत्रगण मनीराम समान भाग हि० 1/8 जाति गुर्जर भूमिस्वामी बनवारी राजकिशोर पुत्र नवलसिंह राजकुमारी पुत्री नवलसिंह मु० भागवती वेबा नवलसिंह स० भाग रकवा 0.099 मु० कलिया वेबा भूखन राकेश नाबा० पुत्र भूखन सर० मां खुद स० भाग रकवा 0.025 गोपी पुत्र रामसिंह रकवा 0.125 कमला बाई पुत्री रामसिंह रकवा 0.079 मोतीराम सुधर सिंह पुत्र हरगोविन्द रतनसिंह मोहनसिंह पुत्र हरगोविन्द स० भाग 7/32 रामचन्द पुत्र खेमा हि० 9/64 में से रकवा 0.031 सियाराम पुत्र प्रीतम प्रीतम पुत्र लालाराम हि० 1/16 लोहरे पुत्र हंसा हि० 7/32 बाबू पतिराम पंचम भूरा पुत्र बालेराम गोदावरी वेबा बालेराम स० भाग रकवा 0.132 जाति रावत विजय कुमार पुत्र चिम्मनलाल जाति जैन नि० खेडापति कालोनी रकवा 0.105 भरोषी पुत्र रामदयाल रकवा 0.108 रामभजन सिंह पुत्र रामवरन सिंह रकवा 0.011 है० नि. गणपति विहार धनिराम पुत्र परिमाल जाति रावत रकवा 0.020 निवासी बुद्धी का पुरा भूमिस्वामी।
10	780/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		भारतसिंह द्वारिका पुत्रगण शोभाराम मु० शंकरदे वेबा शोभाराम समान भाग रकवा 1.083 तोताराम पुत्र शोभाराम हि० रकवा 0.141 दाताराम सीताराम पुत्रगण गादीपाल दयाराम नेकरामसिंह पुत्रगण मोहरमनसिंह सत्यवीरसिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह रकवा 0.219 दर भाग 3/4 भूमि स्वामी सरदारसिंह रामेश्वर औतार पुत्रगण चन्दनसिंह साजनदे वेबा चन्दनसिंह त्रिवेणी, सिरमती, शान्ती भूरी पुत्रियां चन्दनसिंह 1/8 समान भाग रामवरन पुत्र महाराजसिंह रामरती पुत्री महाराजसिंह जाति गुर्जर ठाकुर पता नि० बुद्धीका पुरा 1/8 भाग भूमिस्वामी समान भाग 1/8 जाति गुर्जर पता नि. बुद्धी का पुरा भूमि स्वामी।
11	780/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		विजयसिंह पुत्र हाकिमसिंह जाति गु० ठा० पता

					निवासी जरारा भूमिस्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 4.00
12	780/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		महिला श्रीमती कमला पुत्री उत्तमसिंह जाति गुर्जर ठाकुर पता बुद्धीसिंह का पूरा मजरा जयपुर रफ नयागांव
13	802/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		मु० निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह रकबा 0.721 पातीराम पंचम भूरा पिता बाले राम रकबा 0.533 जाति रावत नि० बुद्धीसिंह का पूरा जाति रावत भूमिस्वामी
14	802/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		पतिराम भूपसिंह पुत्र बालेराम 1.223 है० रामवरन पु० महाराजसिंह रकबा 0.287 रामवती पुत्री महाराजसिंह रकबा 0.287 सरदारसिंह औतारसिंह पुत्रगण चंदनसिंह मु० जीगेन्द्र वेबा चंदनसिंह त्रिवेणी सिरमिति शान्ती भूरी पुत्रीयां चंदनसिंह समान भाग 0.503 मु. शीला देवी वेवा रामेश्वर वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर रेखा पुत्री रामेश्वर समान भाग 0.071 पंचम भूरा पुत्र बालेराम स० भाग रकबा 0.523 निवासी बुद्धी का पूरा निर्मला पत्नी सोवरनसिंह 0.563 कोम रावत नि० निरावली
15	802/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.619	रामचन्द्र पुत्र खेमराज हि० 1/3 रूमाली देवी वेवा पन्नालाल अनूप जयसिंह पुत्र पन्नालाल जाति रावत 0.034 मुन्नालाल पुत्र हजारीलाल रकबा 0.034 मु रामश्री वेवा हजारीलाल रकबा 0.034 कौशल्या सुमिता सुखनिया पुत्री हजारीलाल रकबा 0.104 दर भाग 1/6 संजू नावा सर माँ खुद गुडडी वेवा मुन्नालाल रकबा 0.115 पप्पू जीवाराम कल्लू नावा सर माँ खुद कलावती पत्नी सियाराम स भाग रकबा 0.115 रामभरोषी पुत्र रामदयाल रकबा 0.073.दर भाग 1/4 मोतीराम सुघरसिंह रतनसिंह मोहनसिंह हरगोविन्द मु रामकली वेवा हुकमसिंह राजलाला जीतू नावा सर माँ खुद पुत्रगण हुकमसिंह स०भा० हिस्सा 1/4 जाति रावत भूमि स्वामी भू राजस्व 12.00
16	804	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.017	सरदार सिंह पुत्र चन्दन सिंह रकबा 0.006 त्रिवेणी भूरी सिरिमिती पुत्रियां चन्दन सिंह समान भाग रकबा 0.026 अवतार सिंह पुत्र चन्दन सिंह रकबा 0.048 मु० साजन देवी वेबा चन्दन सिंह हि० रकबा 0.048 जाति गुर्जर दाताराम सिंह पुत्र गादीपाल नेकराम पुत्र मोहरमन सिंह समान भाग

					1/2 दयाराम पुत्र मोहरमन सिंह भाग 1/2 रकबा 0.209 पता निवासी बुढ़ी का पुरा भूमिस्वामी मु० शीला देवी वेबा रामेश्वर सिंह वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह वीरेन्द्र सिंह रामेश्वर सिंह रेखा पुत्री रामेश्वर सिंह समान भाग 0.048 जाति गुर्जर पता नि० बुढ़ी का पुरा भूमिस्वामी
17	805	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	सरदार सिंह अवतार सिंह पुत्रगण चन्दन सिंह मु० साजन देवी वेबा चन्दन सिंह त्रिवेणी शान्ती भूरी सिरिमिती पुत्रियां चन्दन सिंह हि० 7/8 मु० शीला देवी वेबा रामेश्वर सिंह वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह रेखा पुत्री रामेश्वर सिंह समान भाग हि० 1/8 जाति गुर्जर पता नि० बुढ़ी का पुरा भूमिस्वामी
18	963	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.014	श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह जाति रावत पता नि० निरावली तह० ग्वा० भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.30
19	965/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.214	श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह जाति रावत पता नि० निरावली तह० ग्वा० भूमिस्वामी
20	965/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह जाति रावत पता नि० निरावली तह० ग्वा० भूमिस्वामी भू०रा०शा० 964 मि० 1
कुल				2.196	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. अ-82-02-भू-अर्जन-अतिरिक्त-उ.म.रे.-2018-19

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्यामपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये अतिरिक्त भूमि ग्राम- पहाड़ी, तहसील- मुरैना, उपखण्ड- मुरैना, जिला-मुरैना में कुल किता 2 रकवा 0.155 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील- मुरैना के ग्राम- पहाड़ी, प0ह0न0- 89, रा0नि0वृत्-08 में उक्त परियोजना के लिये 0.151 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2173	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.012	रमेश, लक्ष्मण, रामखिलाड़ी सुरेश पिता जण्डेलसिंह सरोज गीता मधू पुत्री जण्डेलसिंह मु भूरी बेवा जण्डेलसिंह 1/6 समान केदार रघुनाथ छोटा पुत्र हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पिता रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमिस्वामी।
2	2182	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.143	मठ श्री महादेवजी का पुख्ता माफी औकाफ डिपा. प्रबंधक कलेक्टर मुरैना भूमिस्वामी
कुल				0.155	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 85 अ-06-भू-अर्जन-उ.म.रे.-अतिरिक्त-2018-14464

मुरैना, दिनांक 21 दिसम्बर 2018

[(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम- सुमावली, प0ह0क0-116 रा0नि0 वृत्-07 तहसील -जौरा उपखण्ड-जौरा जिला-मुरैना में कुल 0.204 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- सुमावली प0ह0क0-116 रा0नि0 वृत्-07 तहसील- जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	जौरा
ग. ग्राम	सुमावली
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.204 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	1868	माफी डिपार्टमेंट	कृषि भूमि	1.040	0.087	मिल्कियत सरकार मंदिर श्रीराम जानकी देह हाजा औकाफ डिपार्टमेंट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना
2	1874	माफी डिपार्टमेंट	कृषि भूमि	0.240	0.065	मिल्कियत सरकार मंदिर श्रीराम जानकी देह हाजा औकाफ डिपार्टमेंट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना
3	1875	माफी डिपार्टमेंट	कृषि भूमि	0.360	0.052	मिल्कियत सरकार मंदिर श्रीराम जानकी देह हाजा औकाफ डिपार्टमेंट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना
कुल	03			1.640	0.204	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
- नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र. 86-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2018-14464/2

[(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेलवे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम- थरा ,प0ह0क0-00042 रा0नि0 वृत्त-02 तहसील -जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में कुल 0.091 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- थरा प0ह0क0-00042 रा0नि0 वृत्त-02 तहसील- जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	जौरा
ग. ग्राम	थरा
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.091 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र. स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
1	714	माफी डिपार्टमेन्ट	पडत	0.350	0.084	मंदिर श्री महादेव जी माफी औकाफ विभाग प्रबंधक कलेक्टर मुरैना
2	798	माफी डिपार्टमेन्ट	पडत	0.830	0.007	मन्दिर श्री महादेवजी माफी औकाफ विभाग प्रबन्धक कलेक्टर मुरैना
कुल	02			1.180	0.091	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
- नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये

भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र. 89-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2018-14464/1

[(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम- सांकरा, प०ह०क०-24 रा०नि० वृत्-02 तहसील-जौरा उपखण्ड-जौरा जिला-मुरैना में कुल 0.744 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- सांकरा प०ह०क०-24 रा०नि० वृत्-02 तहसील-जौरा उपखण्ड-जौरा जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील जौरा
ग. ग्राम सांकरा
घ. लगभग क्षेत्रफल 0.744 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
1	364	माफी डिपार्टमेन्ट	पडत	0.293	0.210	माफी अतिय सरकार मंदीर श्रीदेवजी बांके देहाजा माफी अहतमाम प्रबंधक कलैक्टर महो० मण्डल मुरैना पता नि० ग्राम देवस्थान भू-राजस्व 228
2	374	माफी डिपार्टमेन्ट	पडत	0.042	0.042	माफी अतिय सरकार मंदीर श्रीदेवजी बांके देहाजा माफी अहतमाम प्रबंधक कलैक्टर महो० मण्डल मुरैना पता नि० ग्राम देवस्थान भू-राजस्व 0.48
3	382	माफी डिपार्टमेन्ट	पडत	0.010	0.010	माफी अतिय सरकार मंदीर श्रीदेवजी बांके देहाजा माफी अहतमाम प्रबंधक कलैक्टर महो० मण्डल मुरैना पता नि० ग्राम देवस्थान भू-राजस्व 0.08
4	441	माफी डिपार्टमेन्ट	पडत	0.031	0.031	मिलकियत सरकार मंदीर पुख्ता श्रीमहालक्ष्मीदेवी बांके कस्वा जौरा औकाफ डिपार्टमेन्ट शा० प० ग्रहीता भू०रा०शा० 410
5	442	माफी डिपार्टमेन्ट	पडत	0.136	0.136	मिलकियत सरकार मंदीर पुख्ता श्रीमहालक्ष्मीदेवी बांके कस्वा जौरा औकाफ डिपार्टमेन्ट शा० प० ग्रहीता भू०रा०शा० 410

6	383	माफी डिपार्टमेंट	पडत	0.178	0.178	माफी अतिय सरकार मंदीर श्रीदेवजी बांके देहाजा माफी अहतमाम प्रबंधक कलेक्टर महो० मण्डल मुरैना पता नि० ग्राम देवस्थान भू-राजस्व 0.73
7	878	भूमिस्वामी	भवन भूखण्ड	0.376	0.132	आबादी
8	880	भूमिस्वामी	भवन भूखण्ड	0.261	0.005	आबादी
कुल	08			1.327	0.744	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्राक्घान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्राक्घान के उपबंध लागू नहीं होंगे

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 2ए-82-18-19-11203

सागर, दिनांक 6 अक्टूबर 2018

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाइ एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पदने की संभावना है। इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J-12011/31/2014-IA-1 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1)	परियोजना का नाम :-	बीना संयुक्त सिंचाइ एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध
(2)	भूमि का विवरण :-	
	1. जिला	सागर
	2. तहसील	राहतगढ
	3. ग्राम	दरकोली
	4. पटवारी हल्का नं.	10
	5. अर्जित भूमि का हेक्टेयर	232.420

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.	अर्जित भूमि (रकवा हे. में.)	भूमि का प्रकार
1	मुन्ना वल्द जानी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	10/1	1.610	1.610	
2	रतिबाई बेवा परताप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	10/2	1.620	1.620	
3	रतीराम बल्द हल्काई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11	0.820	0.820	
		भूमि स्वामी	52	0.440	0.440	
		भूमि स्वामी	236	0.670	0.670	
		भूमि स्वामी	237/1	2.190	2.190	
4	राजू पिता शंकर फूलरानी वेवा शकर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/1	1.190	1.190	
5	विजय पुत्र रूपा पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी शंति पुत्री रूपा पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी राधा पुत्री रूपा पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी सीमा पुत्री रूपा पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी संतोष पुत्र रूपा पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी मानकसिंह पुत्र रूपा पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/2	1.180	1.180	
6	गुंवरधन गोविंद पिता मोती केशरबाई वेवा मोती कोमलबाई पुत्री भरोसी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/3	1.180	1.180	

7	फूलाबाई पुत्री निर्भय सिंह पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी पानबाई पुत्री निर्भय सिंह पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी पूनाबाई पुत्री निर्भय सिंह पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी दलीप पुत्र निर्भय सिंह पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	3.250	3.250	
8	गनेश बट्टी सोनू पिता हरगोविन्द पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15/1	1.320	1.320	
		भूमि स्वामी	42/1	0.010	0.010	
9	कल्ला नंदू मुन्नीबाई पिता जगन्नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15/2	1.320	1.320	
		भूमि स्वामी	42/2	0.020	0.020	
10	प्यारेलाल पिता तुलाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15/3	1.330	1.330	
		भूमि स्वामी	42/3	0.020	0.020	
11	कन्छेदी बल्द हरीराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	16	3.470	3.470	
12	रामचरण बल्द उदत पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/1	0.820	0.820	
		भूमि स्वामी	18/1	0.080	0.080	
13	होतीलाल बल्द धन्नालाल पता सा. इतवारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/2	0.120	0.120	
		भूमि स्वामी	21	0.050	0.050	
		भूमि स्वामी	56	1.840	1.840	
		भूमि स्वामी	59/1	0.090	0.090	
14	नीलेश कुमार बल्द होतीलाल पता सा. सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/3	1.760	1.760	
		भूमि स्वामी	59/2	0.210	0.210	
15	मुन्ना लाल बल्द उदत पता सा. दरकोली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18/2	0.800	0.800	
16	विष्णु प्रसाद बल्द उदत पता सा. बछलीन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18/3	0.800	0.800	
17	मदन बल्द उदत पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18/4	0.800	0.800	
18	रूपराम बल्द उदत पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18/5	0.800	0.800	
19	बालकृष्ण पुत्र हरीसिंह पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23	0.980	0.980	
		भूमि स्वामी	38	0.030	0.030	
20	बालकृष्ण बल्द हरीसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28	0.290	0.290	
		भूमि स्वामी	29	0.400	0.400	
		भूमि स्वामी	191	2.900	2.900	
21	कृष्णकुमार गनपतसिंह पिस. कन्छेदी लाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	32	0.170	0.170	
22	जाविद हसन बल्द आविद हसननुबाब हसन बल्द जियाउल हसन पता सा. मोरोदा भूमि	भूमि स्वामी	33/244	0.100	0.100	
		भूमि स्वामी	170	0.090	0.090	
23	धन्नु बल्द वारेलाल गुलाबबाई मुन्नीबाई रामबाई पुत्री वारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	34	0.230	0.230	
		भूमि स्वामी	83	2.430	2.430	
		भूमि स्वामी	84	0.610	0.610	
24	हरिशंकर पुत्र गोविन्ददास पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भूमि स्वामी अमानो पुत्री गोविन्ददास पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भूमि स्वामी सरोज पुत्री गोविन्ददास पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भूमि स्वामी लक्काबाई बेवा गोविन्ददास पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	37	0.090	0.090	
		भूमि स्वामी	240	0.770	0.770	
25	कड़ोरी बल्द-सरु पता सा. देह	भूमि स्वामी	39	0.020	0.020	

भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	48	1.910	1.910
	भूमि स्वामी	146	0.130	0.130
26	रामचरण बल्द सुखलाल कोमलबाई गोपीबाई पुत्रियां सुखलाल कडोरी बल्द सरुद्रुतरो बल्द जालम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी 40	0.040	0.040
27	राजाराम ब.जमुना पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी 41	0.050	0.050
		भूमि स्वामी 181	2.900	2.900
28	दरयाब बल्द चुन्ना पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी 43	0.060	0.060
29	श्यामलाल भैयालाल दिलीप पिस.देवी बालचंद बल्द बारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी 44	0.200	0.200
30	कलाबाई बेवा कलुवा पता सा. देह सेवा खातेदार	भूमि स्वामी 45	0.170	0.170
		भूमि स्वामी 187	0.900	0.900
		भूमि स्वामी 204	2.750	2.750
31	कुंजीलाल पुत्र बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी हरप्रसाद पुत्र बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी खुशीलाल पुत्र बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी मानसींग पुत्र बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी प्यारेलाल पुत्र बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी छोटेलाल पुत्र बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी सुमंत्रा पुत्री बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी मेदाबाई पुत्री बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी राजाबाई पुत्री बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी कस्तूरी पुत्री बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी मीराबाई पुत्री बल्ले पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी 47	0.150	0.150
		भूमि स्वामी 190	1.670	1.670
		भूमि स्वामी 205	0.460	0.460
		भूमि स्वामी 206	0.300	0.300
32	कन्छेदी बल्द श्यामलाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी 49/1	0.120	0.120
		भूमि स्वामी 60/3	0.240	0.240
		भूमि स्वामी 62/1	1.160	1.160
		भूमि स्वामी 125	0.320	0.320
		भूमि स्वामी 128/2	0.330	0.330
33	रामसेवक रामदीन पिस.अमान पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी 49/2	0.170	0.170
		भूमि स्वामी 60/1	0.450	0.450
		भूमि स्वामी 62/2	0.500	0.500
		भूमि स्वामी 72	0.150	0.150
34	पन्नालाल बल्द भगवानदास पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी 50	0.160	0.160
		भूमि स्वामी 149	0.510	0.510
		भूमि स्वामी 151/1	0.730	0.730
35	तलसीराम महादेव भगताराम छोटेलाल पिस.बैजनाथ नर्मदा जोजे शिवलाल भूमि स्वामी शिलिया पुत्री बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी 51	0.160	0.160
36	दामोदर बल्द बसन्ता पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी 53	0.400	0.400

37	जूनाबाई बेवा चतुर्भुज राजाराम गिरधारी पिता चतुर्भुजहरकुवरबाई पुत्री चतुर्भुज पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	54	3.320	3.320	
38	धनसींग बल्द दरयाव पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58	0.140	0.140	
39	भू-राजस्व बिलमुक्ता ग्राम पंचायत दरकोली	भूमि स्वामी	60/2	0.490	0.490	
40	जालम पितापरतीता सावित्री पुत्री परतीता पता का. खैजरा माफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	61/1	0.350	0.350	
		भूमि स्वामी	66/1	0.270	0.270	
		भूमि स्वामी	69/1	0.260	0.260	
41	भैरो वल्द परतीता सरस्वती पुत्री परतीता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	61/2	0.180	0.180	
		भूमि स्वामी	66/2	0.140	0.140	
		भूमि स्वामी	69/2	0.120	0.120	
42	मदन वल्द परतीता सरस्वती वल्द परतीता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	61/3	0.170	0.170	
		भूमि स्वामी	66/3	0.140	0.140	
		भूमि स्वामी	69/3	0.120	0.120	
43	शिवराजसिंह बल्द कन्छेदी पता सा. खैजरा माफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	62/3	0.320	0.320	
44	हल्काई बल्द सुखलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	63	3.270	3.270	
45	दयाराम बल्द हरीनारायण पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	67	0.130	0.130	
		भूमि स्वामी	129	1.590	1.590	
		भूमि स्वामी	221	0.180	0.180	
46	रामकुवरबाई पति भैरोप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68/1/1	0.080	0.080	
47	घासीराम पिता चुन्नीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68/1/2	0.100	0.100	
48	सुरेश पिता खुशीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68/1/3	0.500	0.500	
49	कूपाराम पिता खुशीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68/1/4	0.500	0.500	
50	हीरालाल बल्द चुन्नीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68/1/5	0.980	0.980	
51	रामकुवर पति भैरोप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68/2	0.800	0.800	
52	सुरेश वल्द कलुआ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71	0.810	0.810	
53	मानसींग बल्द बल्ले पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	73	0.600	0.600	
54	पूरन बल्द रामसींग पता सा. खैजरा माफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75/1	0.460	0.460	
		भूमि स्वामी	95/1	0.690	0.690	
55	शैलेश नाबा. आर्यन नाबा. बल्द चंदनसींग सीताबाई राजकुमारी पूजा ज्योति पिता	भूमि स्वामी	75/2	0.960	0.960	
		भूमि स्वामी	93/1	0.710	0.710	
		भूमि स्वामी	99/2	0.210	0.210	
56	शोभाराम बल्द बालमुकुन्द पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76	0.750	0.750	
		भूमि स्वामी	94/1	0.180	0.180	
		भूमि स्वामी	99/2	0.210	0.210	
57	लीलाबाई पति कन्छेदी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77	0.490	0.490	
58	शहवाज बल्द नसीम खान पता निवासी ककरुआ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	78	1.220	1.220	
59	बलीराम बालचंद पिस. रामप्रसाद पता सा. खिरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	79	0.230	0.230	
60	लक्ष्मीनारायण पुत्र बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी बलराम पुत्र बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी राजू पुत्र बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी देवबाई पुत्री बृन्दावन	भूमि स्वामी	80/1	0.610	0.610	

+	पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी हरकिशन पुत्र मनमोहन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी गोवर्धन पुत्र मनमोहन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी विनया पुत्री मनमोहन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/1	0.310	0.310	
		भूमि स्वामी	97	0.120	0.120	
61	भावसींग बल्द रामप्रसाद पता सा. खिरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	80/2	0.440	0.440	
62	शंकर पुत्र रामसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी पूरन पुत्र रामसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी वीरेन्द्र पुत्र रामसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी उमाबाई पुत्री रामसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी सरजूबाई बेवा रामसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	81	0.230	0.230	
63	प्रेमनारायण काशीराम संजू बलराम पिता बदीप्रसाद दोपतीबाई बेवा बदीप्रसाद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85/1	1.030	1.030	
64	जगदीश पिता भोगचंद पता निवासी खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85/2	1.030	1.030	
65	लक्ष्मीनारायण पुत्र बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी बलराम पुत्र बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी राजू पुत्र बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी रेखाबाई पुत्री बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी सीताबाई बेवा बृन्दावन पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/2	0.240	0.240	
66	अब्दुल नईम वल्द अब्दुल सगीर पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	93/2	1.580	1.580	
		भूमि स्वामी	93/3	0.560	0.560	
		भूमि स्वामी	93/4	1.120	1.120	
67	दौलत पिता शोभाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	94/2	0.190	0.190	
		भूमि स्वामी	99/3	0.620	0.620	
68	मदन गोपाल पिता शालकराम ललित कुमार अंकितकुमार पिता ब्रजमोहन उषाबाई बेवा ब्रजमोहन उर्मिलाबाई वन्दना पुत्रिया शालकराम कौशल किशोर अमित पिता बलरामरजनी पुत्री बलराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	95/2	0.810	0.810	
69	वृन्दावन गोवरधन पिस. मनमोहन पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	95/3	0.020	0.020	
70	बदीप्रसाद पि खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	95/4	0.440	0.440	
71	कन्छेदी पिता हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	96	0.100	0.100	

72	शोभाराम पिता बालमुकुंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99/1	0.200	0.200	
73	पूरन पुत्र भैयालाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी रमलाल पुत्र भैयालाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी गोपी पुत्र भैयालाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी गोमतीबाई पुत्री भैयालाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	101	0.750	0.750	
74	गोविन्द वल्द जैसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	102/2	0.360	0.360	
		भूमि स्वामी	200/2	0.730	0.730	
75	शिवनारायण वल्द जयसीग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	102/1	1.420	1.420	
		भूमि स्वामी	200/1	0.720	0.720	
76	रामलाल बल्द भैयालाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	103/1	0.570	0.570	
77	पूरन पिता भैयालाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	103/2	0.260	0.260	
78	रघुवीर प्रसाद बल्दहरदयाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104/1	1.760	1.760	
		भूमि स्वामी	233/1	1.790	1.790	
79	अरविन्द कुमार बल्दरघुवीर प्रसाद पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104/2	0.880	0.880	
		भूमि स्वामी	105	2.030	2.030	
		भूमि स्वामी	106	0.120	0.120	
		भूमि स्वामी	108/1	0.960	0.960	
80	गोविधन तुलाराम हरीराम पिता जोरावल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	107	0.900	0.900	
81	सुरेन्द्र कुमार बल्द रघुवीर पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	108/2	1.600	1.600	
		भूमि स्वामी	110	2.000	2.000	
		भूमि स्वामी	116	0.320	0.320	
82	राकेश जगदीश सुरेन्द्र पिता सीताराम निर्मला पुत्री सीताराम शांतिबाई बेवा सीताराम पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109	1.130	1.130	
83	रतन दुर्ग भगत राजकुमारलक्ष्मी पिस.नदा पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	111	0.480	0.480	
84	बाबूसीग चैनसीग पिता कन्छेदीलाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	113/1	1.040	1.040	
85	राजाराम बल्द पल्द राम पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	113/2	0.400	0.400	
		भूमि स्वामी	115	0.550	0.550	
		भूमि स्वामी	121	0.370	0.370	
86	सरवन पुत्र तुलाराम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी खूबा पुत्र तुलाराम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी मथुरा पुत्र तुलाराम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी रामप्यारी पुत्री तुलाराम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	118	0.270	0.270	
		भूमि स्वामी	119	0.370	0.370	
87	प्रेमसीग पिता मनमोहन पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	120/1	0.160	0.160	
88	प्रभू पिता मनमोहन पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	120/2	0.150	0.150	
89	दीपनारायण नरेश ना.वा बल्दव वली प्रभू पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	122	0.160	0.160	

90	प्रभाबाई पुत्री इमरतसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	123	0.350	0.350	
91	नाथराम छोटेला पिस.कन्हैयालाल प्रेमबाई बेवा कन्हैयालाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	124/1	0.100	0.100	
92	दीपनरायण नरेश ना बा पिता व पा प्रभू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	124/2	0.100	0.100	
93	अब्दुलफहीम बल्द अब्दुल शहीद पता सा. ओसानखेडी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	127	1.110	1.110	
94	कृपाराम पिता अनंतराम पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	128/1	1.380	1.380	
95	मुन्नासिंह पिता बिहारी पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	130	0.250	0.250	
		भूमि स्वामी	215	1.930	1.930	
96	पुष्प कुमार पिता मुन्ना सिंह पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	131	0.300	0.300	
		भूमि स्वामी	227	1.310	1.310	
97	कुन्दनसींग पिता बिहारी पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	132/1	1.620	1.620	
		भूमि स्वामी	135/2	0.200	0.200	
98	श्रीबाई पुत्री बिहारी पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	132/2	1.220	1.220	
99	रामप्यारी पति कुन्दनसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	134	2.180	2.180	
100	दिनेश पिता कुन्दन पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	135/1	1.980	1.980	
101	गोवरधन पिता छत्तरसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	136/1	0.970	0.970	
		भूमि स्वामी	213/1	2.320	2.320	
		भूमि स्वामी	214/1	0.150	0.150	
102	गुलाब पिता छत्तरसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	136/2	0.970	0.970	
		भूमि स्वामी	213/2	1.610	1.610	
		भूमि स्वामी	214/2	0.160	0.160	
103	प्रेमबाई बेवा छत्तरसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	136/3	0.650	0.650	
		भूमि स्वामी	219/7	0.140	0.140	
104	तुलाराम बल्द परम पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	137/1	0.340	0.340	
		भूमि स्वामी	137/2	0.350	0.350	
105	हरीराम पुत्र कम्मोद पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी नेतराम पुत्र कम्मोद पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी नब्बोबाई पुत्री कम्मोद पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी धरमोबाई पुत्री कम्मोद पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी लच्छोबाई पुत्री कम्मोद पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	138	0.540	0.540	
		भूमि स्वामी	157	0.180	0.180	
		भूमि स्वामी	158	0.020	0.020	
		भूमि स्वामी	211	0.930	0.930	
106	पुतरोबाई बेवा सुखलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी मंजू पुत्र सुखलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी मुलू पुत्र सुखलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी धंसू पुत्र सुखलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी हल्के पुत्र सुखलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी पार्वती पुत्री सुखलाल पता	भूमि स्वामी	139	0.530	0.530	

★	दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी कुअरबाई पुत्री सुखलाल पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी बाबूलाल पुत्र फुल्ला पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी पार्वती बेवा फुल्ला पता, दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी सुशीला पुत्री फुल्ला पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी सुनीता पुत्री फुल्ला पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/11 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	159	0.020	0.020	
		भूमि स्वामी	160	0.170	0.170	
		भूमि स्वामी	212	0.920	0.920	
107	सीताराम पि.प्यारेलाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	140	0.380	0.380	
108	हरिचंद पिता कलुआ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	141/1	0.800	0.800	
109	मोहन पिता कलुआ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	141/2	0.800	0.800	
110	कलाबाई बेवा कलुआ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	141/3	0.400	0.400	
111	फुस्सा पिता धुन्धा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	142	2.180	2.180	
		भूमि स्वामी	169	0.170	0.170	
112	महादेव प्रसाद पिता बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	143/1	0.090	0.090	
		भूमि स्वामी	147/1	1.260	1.260	
113	भगताराम बल्द बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	143/2	0.090	0.090	
		भूमि स्वामी	147/2	1.260	1.260	
114	रनवीरसिंह पिता रामसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	148	2.630	2.630	
		भूमि स्वामी	232	1.330	1.330	
115	छोटेलाल बल्द बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150	1.160	1.160	
116	सीताराम बल्द भगवानदास पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	151/2	1.460	1.460	
117	मुहम्मद सादिक पिता मुहम्मद इशाक पता निवासी राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152	0.750	0.750	
118	बेनीसीग ऊर्फ राधेश्याम पिता हीरालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	153/2	0.200	0.200	
		भूमि स्वामी	154	0.800	0.800	
		भूमि स्वामी	174	0.130	0.130	
119	देवेन्द्र सिंह बल्द हीरालाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	153/1	0.800	0.800	
120	मुह.इशाक बल्द पीरमुहम्मद पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	155	1.720	1.720	
121	फुस्सा बल्द धुन्धा मुन्नालाल खेतसींग जैराम रामगास पि.धर्मा मझलीबहू बेवा धर्मा ललता शकुन कुशुम पुत्रियां धर्मा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	165/1	0.130	0.130	
122	गुवरा बल्द धुन्धा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	165/2	0.060	0.060	
123	खेमाबाई पुत्री धुन्धा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	165/3	0.060	0.060	
124	मनवीबाई पुत्री धुन्धा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	165/4	0.060	0.060	
125	काशीबाई पुत्री धुन्धा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	165/5	0.060	0.060	

126	प्रेम पुत्र सूरज पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी भूरीबाई बेवा सूरज पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी रामकली पुत्री सूरज पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी रमको पुत्री सूरज पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी दामोदर पुत्र बंसता पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी नंदू पुत्र बंसता पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी जनको पुत्री बंसता पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी लटकारी बेवा बंसता पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	166	0.170	0.170
127	कुन्जीलाल बल्द रामलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	167	0.210	0.210
		भूमि स्वामी	192	2.760	2.760
		भूमि स्वामी	203	0.750	0.750
128	रामाबाई पुत्री करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी भीकमसींग पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी राजकुमार पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मीबाई पुत्री करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी हुकमसींग पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी रतीराम पुत्र हल्कई पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी कमलसींग पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	171	0.330	0.330
129	अब्दुल गफ्फार बल्द अब्दुलगफ्फूर पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	172	0.130	0.130
		भूमि स्वामी	196/1	4.170	4.170
130	भीकमसींग पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी राजकुमार पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मीबाई पुत्री करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी रामाबाई पुत्री करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी हुकमसींग पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी कमलसींग पुत्र करनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	176	1.610	1.610
131	राजकुमार पिता करनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	178/1	1.460	1.460
132	फूलबाई पति रामचरन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	182	0.800	0.800
		भूमि स्वामी	183	1.220	1.220
133	कमलसींग पिता करनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	178/2	1.460	1.460
134	विधावाई पुत्री श्यामलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	180	2.100	2.100
135	सोनु बल्द रामप्रसाद सोनी पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	184	4.040	4.040

136	राकेश पुत्र हल्कई पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी बिनीता पुत्री हल्कई पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी तुलसा पुत्री हल्कई पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी किरण पुत्री हल्कई पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी भागवती बेवा हल्कई पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	185/2	0.490	0.490	
137	जाहर पवन ना.बा.पिता हरपा ममता अंगूरी बन्नो प्रीती भूरी कल्लो ना.बा.पुत्री हरपा बली खुद माँ जगरानी बेवा हरपा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	186	2.830	2.830	
138	तुलसीराम वल्द बैजनाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	188	1.330	1.330	
139	कृपाराम उर्फ कच्छेदी बल्द भगवानदास पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	189	1.330	1.330	
140	प्रेमसींग पिस.बाबूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	193/1	1.340	1.340	
141	संतोष पिता बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	193/2	1.350	1.350	
142	हकूमसींग पिता करनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	195/1	1.150	1.150	
143	भीकम वल्द करनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	195/2	1.150	1.150	
144	मु.आजम वल्द अब्दुल गफार खां पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	196/3	0.810	0.810	
		भूमि स्वामी	229/2	1.000	1.000	
		भूमि स्वामी	229/3	1.600	1.600	
		भूमि स्वामी	229/4	0.800	0.800	
145	मु.असलम बल्द अब्दुलगफार पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	196/2	2.220	2.220	
146	कृष्णकांत पुत्र चैनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी संतोषरानी बेवा चैनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी माया पुत्री चैनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी मनीषा पुत्री चैनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी शिवानी पुत्री चैनसींग पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	197/1	0.850	0.850	
147	भारतसींग बल्द रामचरण पता सा. गावरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	197/2	0.850	0.850	
148	राजाराम बल्द हरचंद पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	199/1	0.880	0.880	
149	संतराम नाबा पिता व पा सीताराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	199/2	1.000	1.000	
150	मु.असद बल्द अब्दुल गफार पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	200/3	0.710	0.710	
		भूमि स्वामी	201	1.310	1.310	
151	सोनाराम बल्द सीताराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	202	0.820	0.820	
152	जगदीश बल्द मुन्जा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207	0.540	0.540	
153	पुतरोबाई पति सुखलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	208	0.150	0.150	
154	मनकुवर पति परषोत्तम प्यारीबाई पति बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	209/1	1.160	1.160	

155	सुधाबाई पति परसराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	209/2	0.360	0.360
		भूमि स्वामी	209/3	0.800	0.800
156	मन्नू वल्द भगवानदास पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	210/1	0.770	0.770
157	परसराम वल्द भगवानदास पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	210/2	0.770	0.770
158	शारदाबाई पति मुन्नासिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	216	1.880	1.880
159	अनवरशाह बल्द निशारशाह पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	217	1.170	1.170
160	तीरथ सींग वल्द प्रताप सिंह महेश सिंह पिता तीरथ सींग पता सा. खैजरामाफी	भूमि स्वामी	218/1	0.600	0.600
		भूमि स्वामी	219/1	0.600	0.600
161	श्यामलाल पिता भोले पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	218/2	0.590	0.590
162	रामनरेश देशराज पिता गोवरधन पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	219/2	0.410	0.410
		भूमि स्वामी	219/3	0.410	0.410
		भूमि स्वामी	219/4	0.410	0.410
		भूमि स्वामी	219/5	0.220	0.220
		भूमि स्वामी	219/6	0.140	0.140
163	रुविशंकर पिता दिलीपसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	220/1	1.200	1.200
164	हृदय पिता दिलीपसींग पता निवासी ग्राम खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	220/2	0.900	0.900
		भूमि स्वामी	222/4	0.880	0.880
		भूमि स्वामी	226	0.600	0.600
165	कमलेश पिता दिलीप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	222/1	1.770	1.770
		भूमि स्वामी	222/2	0.600	0.600
166	दौलत पिता दिलीप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	222/3	2.370	2.370
167	माधव सींग वल्द तीरथ सींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	225/1	3.810	3.810
168	महेश सींग पिता तीरथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	225/2	3.810	3.810
169	बाबूलाल बल्द गुलाब पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	229/1	1.700	1.700
170	ता. पुत्री श्यामलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी अनोप पुत्री हरनाम पता दरकोली राहतगढ़ सागर मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी प्रहलाद पुत्र श्यामलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी गंधर्व पुत्र श्यामलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर मध्यप्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी ओमकार पुत्र रामसींग पता दरकोली राहतगढ़ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी रनवीर सिंह पुत्र रामसींग पता दरकोली राहतगढ़ सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी रूपसींग पुत्र हरनाम पता दरकोली राहतगढ़ सागर मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	230/1	0.890	0.890

171	कल्लू पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी रियाज पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी शायदा पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी जर्रीना पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी मुकनेश पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी आरिफ पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी इस्तायाज पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी उवेश पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी आमना बी बेवा मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी इरसाद बी पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी आपदा बी पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी शायदा बी पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ सागर मध्यप्रदेश 1/13 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	230/2	0.440	0.440	
172	कृष्णाबाई पति रघुवीरप्रसाद पता सा. खैजराभाकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	233/2	1.790	1.790	
173	शोकत बल्द सखावत पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	231	0.700	0.700	
174	हरीशंकर बल्द अयोध्याप्रसाद पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	237/2	1.000	1.000	
175	इन्द्राज बल्द रत्ती पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	238	0.800	0.800	
	कुल योग		276	232.420	232.420	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला-सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशानुसार कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला-सागर समुचित सहयोग करें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार।

क्रमांक 4 A-82-18-19-11202

मौजा परासरी कला पटवारी हल्का नं. 24 तहसील राहतगढ चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि परियोजना प्रशासक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J-12011/31/2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

- (1) परियोजना का नाम :-
 (2) भूमि का विवरण :-
 1. जिला
 2. तहसील
 3. ग्राम
 4. पटवारी हल्का नं.
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध
 सागर
 राहतगढ
 परासरी कला
 24
 242.870 हे०

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हे. में.	अर्जित भूमि (रकबा हे. में.)	भूमि का प्रकार
1	सुरेन्द्रसिंह वल्द फूलसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2	0.310	0.310	
		भूमि स्वामी	3	0.310	0.310	
		भूमि स्वामी	40	2.550	2.550	
		भूमि स्वामी	79	0.070	0.070	
		भूमि स्वामी	158	0.710	0.710	
		भूमि स्वामी	180	0.050	0.050	
		भूमि स्वामी	208	1.080	1.080	
2	गोपालसिंह पिता निर्भयसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4/1/1	0.130	0.130	
		भूमि स्वामी	41/1/1	0.690	0.690	
		भूमि स्वामी	182	0.030	0.030	
		भूमि स्वामी	215	0.010	0.010	
		भूमि स्वामी	217/1	0.020	0.020	
3	बलरामसींग कुन्दनसिंह अनिलसिंह जागवेन्द्रसिंह सुग्रीवसिंह पिता भुजबलसिंह जानबाई पुत्री भुजबलसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4/1/2	0.140	0.140	
		भूमि स्वामी	41/1/2	0.930	0.930	
		भूमि स्वामी	42/1	0.110	0.110	
		भूमि स्वामी	43/1	0.040	0.040	
		भूमि स्वामी	181	0.030	0.030	
		भूमि स्वामी	217/2	0.020	0.020	

4	मोतीसींग छोटेसींग पिता निर्भयसींग रामवती मीरा पुत्री निर्भयसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	325/2	0.150	0.150
		भूमि स्वामी	4/1/3	0.130	0.130
		भूमि स्वामी	42/2	0.110	0.110
		भूमि स्वामी	43/2	0.040	0.040
5	रामकेश पिता फूलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4/2	0.400	0.040
6	अजयकुमार वल्द सूर्यप्रकाश पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5	0.650	0.650
		भूमि स्वामी	8/393	0.270	0.270
		भूमि स्वामी	9	0.720	0.720
		भूमि स्वामी	18	0.380	0.380
		भूमि स्वामी	292	0.510	0.510
		भूमि स्वामी	365/2	0.070	0.070
		भूमि स्वामी	368	0.630	0.300
		भूमि स्वामी	382	0.580	0.580
		भूमि स्वामी	387	3.640	3.640
7	देवीसिंग पूनसिंग पिस. मुलू उदयसींग प्रतापसींग राजाराम पिस. भागीरथ सुन्दरबाई पुत्री भागीरथ पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6	0.620	0.620
		भूमि स्वामी	114	0.030	0.030
		भूमि स्वामी	201	0.010	0.010
		भूमि स्वामी	202	0.020	0.020
8	मजबूत सिंह वल्द रामलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7	0.250	0.250
		भूमि स्वामी	100	0.100	0.100
		भूमि स्वामी	101	1.830	1.830
		भूमि स्वामी	244/1	0.200	0.200
9	सुखलाल पिस. धरमलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8/1	0.140	0.140
		भूमि स्वामी	24/1	0.340	0.340
		भूमि स्वामी	256/1	0.020	0.020
		भूमि स्वामी	257/1	0.020	0.020
		भूमि स्वामी	310/3	0.400	0.400
10	लालचंद राजकुमार बालकिशन गनेश हरि चरण वल्द बुद्धा भुजा बाई जानकी बाई राधाबाई पुत्री बुद्धा पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/1	0.280	0.280
		भूमि स्वामी	8/2	0.130	0.130
		भूमि स्वामी	24/2	0.330	0.330
		भूमि स्वामी	84/2	0.290	0.290
		भूमि स्वामी	138/2	0.100	0.100
		भूमि स्वामी	306/2	0.020	0.020
		भूमि स्वामी	308/2	0.010	0.010
11	गायत्रीबाई पत्नि राजेशकुमार पता सा. बंडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	310/2	1.520	1.520
		भूमि स्वामी	317/2	2.970	2.970
12	रामस्वरूप वल्द मूलचंद पता सा.देह सेवा खातेदार	भूमि स्वामी	10	1.950	1.950
		भूमि स्वामी	11	0.620	0.620
		भूमि स्वामी	149	0.100	0.100
		भूमि स्वामी	151	2.930	2.930
13	खूबसींग रामसींग पिता फूल सिंह शांतिबाई वेवा फूल सिंह हीराबाई हुकूमबाई पुत्री फूलसींग रोहित पिता भारत सिंह मिथलेश वेवा भारत सिंह रुवी ऋतु वा.निकिता ना वा पुत्री भारत सिंह वली मां मिथलेश लाखनसींग रीतेश पिता हुकूमसींग शकुनबाई बेवा हुकूमसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	349	0.420	0.420
		भूमि स्वामी	12	0.250	0.250
		भूमि स्वामी	116	2.930	2.930
		भूमि स्वामी	221	0.070	0.070
		भूमि स्वामी	233	0.050	0.050
		भूमि स्वामी	291	0.330	0.330

14	लाखनसीग रीतेश पिता हुकमसीग शकुनबाई बेवा हुकमसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/1	0.220	0.220
		भूमि स्वामी	65	0.400	0.400
		भूमि स्वामी	98	0.450	0.450
		भूमि स्वामी	99	1.520	1.520
15	ऋतु निकिता नाबा पुत्री भारतसीग वली खुद मां मिथलेश बेवा भारतसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/2	0.230	0.230
		भूमि स्वामी	219/2	0.030	0.030
		भूमि स्वामी	301	0.370	0.370
		भूमि स्वामी	319	0.250	0.250
		भूमि स्वामी	321	0.780	0.780
		भूमि स्वामी	322	0.570	0.570
16	विक्रम वल्द रामचरण प्रीति टिकल प्रियका रानू पुत्रियां रामचरण गुडडी बेवा रामचरण पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	0.350	0.350
		भूमि स्वामी	76	0.170	0.170
		भूमि स्वामी	93/2	0.160	0.160
		भूमि स्वामी	104	0.090	0.090
		भूमि स्वामी	106	0.590	0.590
		भूमि स्वामी	203	0.040	0.040
		भूमि स्वामी	243	0.090	0.090
		भूमि स्वामी	272/2	0.090	0.090
		भूमि स्वामी	278/1	0.140	0.140
		भूमि स्वामी	288	0.090	0.090
17	प्रेमसीग पिता महतापसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15/1	0.180	0.180
		भूमि स्वामी	52/1	0.120	0.120
		भूमि स्वामी	56	0.110	0.110
		भूमि स्वामी	102/1	1.190	1.190
		भूमि स्वामी	107	0.350	0.350
18	माखनसीग पिता महतापसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15/2	0.170	0.170
		भूमि स्वामी	52/2	0.130	0.130
		भूमि स्वामी	59	0.340	0.340
		भूमि स्वामी	74	0.110	0.110
		भूमि स्वामी	75	0.030	0.030
		भूमि स्वामी	102/2	0.600	0.600
		भूमि स्वामी	105/2	0.400	0.400
19	ऋषिराज वल्द फूलसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	16	0.300	0.300
		भूमि स्वामी	17	0.540	0.540
		भूमि स्वामी	22	0.260	0.260
		भूमि स्वामी	25/2	0.120	0.120
		भूमि स्वामी	25/3	0.120	0.120
		भूमि स्वामी	53	0.120	0.120
		भूमि स्वामी	61	0.130	0.130
		भूमि स्वामी	73/5	0.600	0.600
		भूमि स्वामी	93/1	1.360	1.360
		भूमि स्वामी	103	0.660	0.660
		भूमि स्वामी	278/2	0.260	0.260
		भूमि स्वामी	294	0.180	0.180
		भूमि स्वामी	295	0.010	0.010
		भूमि स्वामी	329/2	2.170	2.170
20	श्री मंदिर पारसनाथ जी मौजा हिर्नांतिया कलां मु. हीरालाल, प्रबंधक कले. महो. सागर पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19	0.780	0.780
		भूमि स्वामी	110	1.520	1.520
		भूमि स्वामी	115	3.980	3.980

		भूमि स्वामी	273	0.100	0.100	
		भूमि स्वामी	276	0.830	0.830	
		भूमि स्वामी	298	0.940	0.940	
21	रामदयाल वल्द सरु पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20	0.270	0.270	
		भूमि स्वामी	251	0.070	0.070	
22	वीरेन्द्रसिंह रवेन्द्रसिंह गजेन्द्रसिंह विजयसिंह पिस. महेन्द्रसिंह रामेश सिंह यशवत सिंह अनार सिंह पिस. वलराम सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21	0.250	0.250	
23	सुरेन्द्रसिंह वल्द फूलसीग ठाकुर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23	1.010	1.010	
24	बृजलाल बल्द देवी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25/1	0.110	0.110	
		भूमि स्वामी	73/1	1.610	1.610	
		भूमि स्वामी	258/1	0.030	0.030	
		भूमि स्वामी	282/1	0.340	0.340	
		भूमि स्वामी	284/1	0.130	0.130	
		भूमि स्वामी	286/3	0.120	0.120	
25	श्रीमति पुष्पादेवी पति सन्तोष कुमार पता सा.राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26	0.850	0.850	
		भूमि स्वामी	54	0.210	0.210	
		भूमि स्वामी	82/1	0.460	0.460	
		भूमि स्वामी	86	0.250	0.250	
		भूमि स्वामी	136	0.750	0.750	
		भूमि स्वामी	139	0.700	0.700	
26	बुन्देलसिंह वल्द बालेलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	27	0.810	0.810	
		भूमि स्वामी	109/1	6.560	6.560	
		भूमि स्वामी	113	0.090	0.090	
		भूमि स्वामी	184	0.120	0.120	
27	निरजन सीग जगतसीग पिस.प्रहलाद सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28	0.200	0.200	
		भूमि स्वामी	37	0.810	0.810	
		भूमि स्वामी	39	0.120	0.120	
		भूमि स्वामी	45	0.270	0.270	
		भूमि स्वामी	68	0.120	0.120	
		भूमि स्वामी	71	1.470	1.470	
		भूमि स्वामी	97	1.530	1.530	
		भूमि स्वामी	189/1	0.120	0.120	
28	नारायणसिंह शिवराजसिंह पिस. तांती सिंह गिरजाबाई बेवा तांतीसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	30	0.570	0.570	
29	राजकुमारी मालतीबाई पुत्री राधेलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	31	1.520	1.520	
		भूमि स्वामी	135	0.120	0.120	
		भूमि स्वामी	188/1	0.030	0.030	
		भूमि स्वामी	199/1	0.010	0.010	
		भूमि स्वामी	212	2.410	2.410	
		भूमि स्वामी	285/1	2.170	2.170	
30	भागवर्धन वल्द बुन्देल सीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	32/1	1.570	1.570	

31	शकरसीग वल्द बुन्देलसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	32/2	1.580	1.580	
32	उदमसीग प्रतापसीग राजा राम उदयसीग पिस.भागीरथ सुन्दरबाई पुत्री भागीरथ पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33	0.900	0.900	
		भूमि स्वामी	117	1.010	1.010	
		भूमि स्वामी	130	1.360	1.360	
		भूमि स्वामी	307	0.010	0.010	
		भूमि स्वामी	312	1.400	1.400	
		भूमि स्वामी	313	0.890	0.890	
		भूमि स्वामी	314	0.260	0.260	
		भूमि स्वामी	316	0.890	0.890	
33	देवी पूरन पिता मुलू ठाकुर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	34	0.890	0.890	
		भूमि स्वामी	118	1.040	1.040	
		भूमि स्वामी	128	1.160	1.160	
		भूमि स्वामी	305	0.030	0.030	
		भूमि स्वामी	311	0.280	0.280	
		भूमि स्वामी	315	1.460	1.460	
		भूमि स्वामी	333	0.200	0.200	
		भूमि स्वामी	334	0.210	0.210	
34	रंधीरसीग वल्द खुमानसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	35	1.080	1.080	
		भूमि स्वामी	81	1.550	1.550	
		भूमि स्वामी	224	0.010	0.010	
		भूमि स्वामी	228/1	0.010	0.010	
		भूमि स्वामी	232/1	0.040	0.040	
35	शोभा बेवा सूर्यप्रकाश अजय उर्फ अनुज अमय उर्फ अभिनय पिस सूर्यप्रकाश पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	36	0.280	0.280	
		भूमि स्वामी	159	0.070	0.070	
		भूमि स्वामी	194	0.030	0.030	
		भूमि स्वामी	268/2	0.030	0.030	
		भूमि स्वामी	269	0.490	0.490	
		भूमि स्वामी	270	0.020	0.020	
		भूमि स्वामी	363/2	0.400	0.400	
		भूमि स्वामी	364/1	0.070	0.070	
		भूमि स्वामी	375	1.510	0.930	
		भूमि स्वामी	376	0.290	0.290	
		भूमि स्वामी	381	0.500	0.500	
		भूमि स्वामी	385	0.050	0.050	
36	मोतीसीग पिता निर्भयसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	41/2	0.840	0.840	
37	सुरेन्द्र दत्तक पुत्र हिम्तसिंह पिता फूलसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42/3	0.220	0.220	
		भूमि स्वामी	43/3	0.090	0.090	
		भूमि स्वामी	183	0.020	0.020	
38	नारायण सीग वल्द तांती पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	44/1	0.950	0.950	
		भूमि स्वामी	67	0.270	0.270	
		भूमि स्वामी	69/1	0.380	0.380	
		भूमि स्वामी	72/1/2	0.520	0.520	
		भूमि स्वामी	147/1	0.160	0.160	
39	आकाश ना.वा.वल्द शिवराजसीग वली	भूमि स्वामी	44/2	0.060	0.060	

	नारायणसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69/2	0.380	0.380
		भूमि स्वामी	72/4	1.710	1.710
		भूमि स्वामी	72/5		
		भूमि स्वामी	147/2	0.130	0.130
40	रुद्र प्रकाश ना वा वल्द वली ओम प्रकाश पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	46	0.780	0.780
		भूमि स्वामी	47	0.400	0.400
		भूमि स्वामी	48	0.260	0.260
		भूमि स्वामी	50	1.720	1.720
		भूमि स्वामी	227	0.260	0.260
41	घनश्याम प्रसाद तुलसीराम पिस. सूरजप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	49	0.250	0.250
		भूमि स्वामी	205	0.160	0.160
42	पचम सीग वल्द रामलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55	0.210	0.210
		भूमि स्वामी	57	0.360	0.360
		भूमि स्वामी	235	0.040	0.040
		भूमि स्वामी	240	0.110	0.110
		भूमि स्वामी	244/2	0.090	0.090
		भूमि स्वामी	280/2	0.140	0.140
		भूमि स्वामी	290	0.470	0.470
		भूमि स्वामी	318	0.630	0.630
		भूमि स्वामी	320	0.470	0.470
		भूमि स्वामी	323	0.520	0.520
43	सरदारसीग पिस.मोहनसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58/1	2.530	2.530
		भूमि स्वामी	119/1	1.470	1.470
		भूमि स्वामी	229/1	0.020	0.020
44	राजेन्द्रसिंह वल्द रामेश्वर सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58/2	1.860	1.860
		भूमि स्वामी	119/2	1.250	1.250
		भूमि स्वामी	230/2	0.030	0.030
45	प्रहलादसीग वल्द मोहनसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58/3	1.110	1.110
		भूमि स्वामी	94	0.600	0.600
		भूमि स्वामी	119/3	1.120	1.120
		भूमि स्वामी	229/2	0.010	0.010
		भूमि स्वामी	230/1	0.010	0.010
46	चेनसीग वल्द रामलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	60	0.430	0.430
		भूमि स्वामी	62	0.110	0.110
		भूमि स्वामी	64	0.100	0.100
		भूमि स्वामी	108	0.450	0.450
		भूमि स्वामी	185	0.060	0.060
		भूमि स्वामी	280/1	0.470	0.470
47	श्रीमति सेवाबाई पति प्रहलाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70	0.710	0.710
48	मंदिर श्री हनुमानजी बांके मौजा देह मुह. जितेन्द्रकुमार पिता रामनारायण सा. देह प्रबंधक कलेक्टर महो. जिला सागर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	72/1/1	1.200	1.200
49	गिरजाबाई बेवा तातीसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	72/2	1.120	1.120
50	पूरनसीग वल्द चंदनसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	73/2	1.010	1.010
		भूमि स्वामी	137	0.540	0.540

51	नंदलाल वल्द चंदसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	286/2	0.120	0.120
		भूमि स्वामी	73/3	1.610	1.610
		भूमि स्वामी	77	0.070	0.070
		भूमि स्वामी	258/4	0.030	0.030
		भूमि स्वामी	286/4	0.120	0.120
52	देवीसीग वल्द चन्दनसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	287	0.040	0.040
		भूमि स्वामी	73/4	1.610	1.610
		भूमि स्वामी	258/3	0.030	0.030
		भूमि स्वामी	282/2	0.340	0.340
		भूमि स्वामी	284/2	0.130	0.130
53	देवीसीग गनपतसीग नरेन्द्रसीग पिता सरदारसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	286/1	0.120	0.120
		भूमि स्वामी	78	1.220	1.220
		भूमि स्वामी	89	0.190	0.190
54	सुरेन्द्रसिंह वल्द फूलसीग शान्तिबाई पुत्री जवाहरसिंह उम्मेदसीग फूलसीग पि.भुगनसीग भगवानसीग पूरनसीग पि.गुलाबसीग शेरसीग राजेन्द्रसीग प्रानसीग पिस.रामेश्वर मुन्नीबाई गीताबाई बेनीबाई गुडडी पुत्री रामेश्वर तुलसाबाई बेवा रामेश्वर प्रेमसीग माखनसीग पिस. महतापसीग मु.काशीबाई बेवा महतापसीग सूरजबाई बेवा खुमानसीग प्रतापसीग महेन्द्रसिंह चंदनसीग हरीसीग रंधीरसीग पिस.खुमानसीग हुकमबाई ममताबाई पुत्री फूलसीग रामचरन महर्षिराज पिस.फूलसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	122	2.520	2.520
		भूमि स्वामी	80	0.140	0.140
		भूमि स्वामी	82/2	0.420	0.420
55	दीपचंद वल्द मोतीलाल पता सा.बेगमगज भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	87	1.720	1.720
		भूमि स्वामी	132/1	0.660	0.660
		भूमि स्वामी	83	1.870	1.870
56	श्रीमति ममता पति प्रकाश पता सा.राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	256/2	0.020	0.020
		भूमि स्वामी	257/2	0.020	0.020
		भूमि स्वामी	84/1	0.280	0.280
57	०ग्याप्रसाद वल्द धरमलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	138/1	0.100	0.100
		भूमि स्वामी	306/1	0.030	0.030
		भूमि स्वामी	310/4	0.400	0.400
		भूमि स्वामी	88	0.100	0.100
58	अभिषेक रविन्द्र अचला संयोगिता पिस. सनदकुमार साधना बेवा सनदकुमार राजेश विनोद चन्द्रकान्ता वंदना पुत्री देवेन्द्र कुमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	91	1.990	1.990
		भूमि स्वामी	120	0.210	0.210
		भूमि स्वामी	131	2.090	2.090
		भूमि स्वामी	188/2	0.030	0.030
		भूमि स्वामी	199/2	0.010	0.010
		भूमि स्वामी	285/2	1.830	1.830
59	धीरजकुमार वल्द खुमानसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	90	0.570	0.570
		भूमि स्वामी	121	2.270	2.270
		भूमि स्वामी	228/2	0.010	0.010
		भूमि स्वामी	232/2	0.040	0.040
60	खूबसीग वल्द फूलसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	95	0.410	0.410
		भूमि स्वामी	96	0.420	0.420
		भूमि स्वामी	219/1	0.020	0.020

61	काशीबाई बेवा महतापसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	105/1	0.830	0.830
		भूमि स्वामी	186	0.070	0.070
		भूमि स्वामी	200	0.070	0.070
		भूमि स्वामी	234	0.080	0.080
		भूमि स्वामी	236	0.070	0.070
		भूमि स्वामी	241	0.160	0.160
		भूमि स्वामी	279	0.270	0.270
		भूमि स्वामी	289	0.080	0.080
62	प्रमोद कुमार वल्द मुलायमचंद जैन पता सा.बेगमगंज भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109/2	0.800	0.800
		भूमि स्वामी	111/2	2.400	2.400
		भूमि स्वामी	112/1	1.260	1.260
63	प्रमोद कुमार वल्द मुलायमचंद पता सा.बेगमगंज भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109/3	0.800	0.800
64	प्रशांतकुमार वल्द मुलायमचंद पता सा.बेगमगंज भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	111/1	1.900	1.900
65	मु.कस्तूरीबाई जोजे मुलायमचंद पता सा.बेगमगंज भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	111/3	0.800	0.800
66	विनीतकुमार वल्द मुलायमचंद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	112/2	1.260	1.260
67	प्रतापसिंह वल्द भागीरथ ठाकुर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	112/3	0.150	0.150
		भूमि स्वामी	112/4	1.260	1.260
68	नर्मदाप्रसाद वल्द दुर्गाप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	123	2.250	2.250
		भूमि स्वामी	141	0.160	0.160
		भूमि स्वामी	190	0.030	0.030
		भूमि स्वामी	191	0.010	0.010
		भूमि स्वामी	300	0.550	0.550
69	हरि प्रसाद वल्द नर्मदाप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	124	0.810	0.810
70	रूपसिंह वल्द चेतू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	125	0.680	0.680
71	पूरनसींग वल्द चेतू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	126/1	0.480	0.480
72	धन्नालाल वल्द मोतीलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	126/2	0.480	0.480
		भूमि स्वामी	132/2	2.800	2.800
		भूमि स्वामी	198	0.030	0.030
73	राजाराम वल्द भागीरथ पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	126/3	0.480	0.480
74	सुधारानी पति मुन्नालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	126/4	0.480	0.480
75	रूपसींग पूरनसींग पिस.चेतूबेनीबाई नन्नीबाई पुत्री चेतू हरीसींग वल्द रामचरणराजू वल्द हरीसींग	भूमि स्वामी	127	1.600	1.600
		भूमि स्वामी	142	0.150	0.150
		भूमि स्वामी	192	0.010	0.010
76	श्री हनुमानजी स्वामीमंदिर मुह.सूर्यप्रकाश वल्द विष्णुप्रसाद प्रब.कले.महो.सागर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	129	0.220	0.220

77	अभयकुमार पिता सूर्यप्रकाश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	143	0.300	0.300
		भूमि स्वामी	373	1.210	0.610
78	रामसींग पिता फूलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	145	0.210	0.210
		भूमि स्वामी	293	0.610	0.610
		भूमि स्वामी	326	1.670	1.670
		भूमि स्वामी	332/1	4.000	4.000
79	रामनरेश पिता फूलसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	148/1	2.620	2.620
80	कमलरानी बेवा फूलसिंह राजकुमारी ऊषा पुत्री फूलसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	148/2	0.200	0.200
		भूमि स्वामी	162/2	0.090	0.090
		भूमि स्वामी	163	0.150	0.150
		भूमि स्वामी	206	0.530	0.530
		भूमि स्वामी	213	0.020	0.020
81	कस्तूरीबाई पत्नि मूलचंद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152	0.150	0.150
		भूमि स्वामी	155	0.190	0.190
82	नारायण सिंह देवीसींग नंदलाल पूनसींग पिस.चंदनसिंह बुद्धा वल्द राईसे सुखलाल गयाप्रसाद तुलसीराम पिस.धरमलाल लक्ष्मीबाई पुत्री धरमलाल श्यामलाल महतापसिंह महेन्द्रसिंह पिस.राम वल्द रामकली पुत्री रामबक्श मोतीबाई दशोदाबाई धन्नाबाई बेवा रामबक्स पता सा.खजुरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	153	0.060	0.060
		भूमि स्वामी	193	0.010	0.010
		भूमि स्वामी	366	0.810	0.810
		भूमि स्वामी	377	0.380	0.380
83	बहादुरसिंह वल्द फूलसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	154	0.260	0.260
		भूमि स्वामी	210	0.760	0.760
		भूमि स्वामी	281	0.500	0.500
84	राजेन्द्रसिंह वल्द फूलसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	157	0.690	0.690
		भूमि स्वामी	209	0.380	0.380
85	सुरेन्द्रसिंहदत्तक पुत्र हिम्मतसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	160	0.110	0.110
86	राजेन्द्रसिंह पिता फूलसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	161	0.300	0.300
		भूमि स्वामी	162/1	0.500	0.500
87	प्रतापसिंह हीरासिंह रंधीरसिंह महेन्द्रसींग पिस. खुमान प्रेमबाई सुशीलाबाई पिता खुमान रघुराज गजेन्द्र साधना मोहिनी छोटीबाई पिता चंदनसींग लीलाबाई बेवा चंदनसींग तुलसाबाई बेवा रामेश्वर शेरसिंह राजेन्द्रसिंह मानसिंह वल्द राजेश्वर मन्नीबाई गीता बाई नंदीबाई गूडडी बाई पुत्री रामेश्वर प्रहलाद सिंह सरदार सिंह पिता मोहनलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	167	1.000	1.000
88	अभिषेक बा.रविन्द्र ना.वा. वल्द वली सनत कुमार अंचला वालिग सयोक्ता ना वा पुत्री सनत कुमार साधना वेवा सनत कुमार पता सा.देह. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	187	0.170	0.170
89	निरंजनसींग वल्द फूलसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	189/2	0.340	0.340

90	पन्ना पप्पू माखन वल्दहरलाल प्रेमबाई बेवा हरलाल शम्भोबाई देवकाबाई गुडडीबाई पुत्री हरलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	195	0.040	0.040	
91	सियाबाई पत्नि प्रेमनारायण सा.झिला गुलाबबाई पत्नि रामनारायण पता सा.गंभीरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	196	0.020	0.020	
		भूमि स्वामी	211	0.050	0.050	
92	कल्यान वल्द पुत्री पता सा.चौकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	197	0.010	0.010	
93	रविशंकर कमलेश अखिलेश सावित्री नेत्राबाई शांतिबाई पिस. जगन्नाथ पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	204/1	0.030	0.030	
94	कमलेश पिता जगन्नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	204/2	0.030	0.030	
		भूमि स्वामी	328/2	1.520	1.520	
95	गोपालसिंह वल्द निर्भयसिंह भुजबलसिंह वल्द नन्हेंसिंह सुरेन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह रामेन्द्रसिंह निरंजनसिंह जाहरसिंह बहादुरसिंह दुर्गासिंह प्रेमनारायण रामनरेश राकेश पिता फूलसींग कमलरानी बेवा फूलसींग रामकुमारी ऊषा पुत्री फूलसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	214	0.060	0.060	
96	राजेन्द्रसिंह जवाहरसिंहपिस.फूलसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	218	0.040	0.040	
97	ओमप्रकाश पिता रामनारायण पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	220	0.020	0.020	
		भूमि स्वामी	246	0.030	0.030	
98	सरदारसिंह प्रहलादसिंहपिस.मोहनसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	222	0.010	0.010	
99	खूबसींग रामसींग हुकमसींग पिता फूलसींग शांतिबाई बेवा फूलसींग हीराबाई हुकमबाई पुत्री फूलसींग रोहित पिता भारतसिंह मिथलेश बेवा भारतसिंह रितु रूबी निकीता पुत्री भारत प्रेमबाई बेवा उमैद गुलाब रामेश्वर पिता अमानसींग मदनसींग खेतसींग पिता रघुनाथसींग पानबाई पुत्री भगुन्तसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	223	0.010	0.010	
100	रामकिशन पिता गोरा दयाशंकर नीरज पिता बल्लूराम कल्पना प्रभाबाई नोनी बाई तुलसा पानबाई पुत्री बल्लूराम मालतीबाई बेवा	भूमि स्वामी	225	0.050	0.050	
		भूमि स्वामी	303	0.530	0.530	
		भूमि स्वामी	346	0.180	0.180	
101	नंनीबाई पत्नि मूलचंद प्रवेश विनोद पिस.खुमान नंनीबाई पत्नि खुमान सावित्रीबाई बेवा मोहनलाल मोती कल्यान प्रकाश पिस. मोहनलाल कस्तूरीबाई मीराबाई मुन्नीबाई पुत्री मोहनलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	226/1	0.040	0.040	
102	सोहनलाल वल्द मूलचंद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	226/2	0.010	0.010	
103	प्रेमबाई जोजे किशनसींग लुहार पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	226/3	0.010	0.010	
		भूमि स्वामी	302/2	0.180	0.180	
		भूमि स्वामी	304/3	0.090	0.090	
104	ऊधमसिंह इन्द्राजसिंह पिता पूरनसिंह कल्यान रमेश ओमकार रामाधार राघवेन्द्र पिता भगवानसींग सुनीता अनीता पुत्री भगवानसींग शेरसींग राजेन्द्रसींग पितारामेश्वरसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	231	0.120	0.120	

105	देवीसिंह मोहनसिंह पि. सरदारसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	237	0.340	0.340
		भूमि स्वामी	239	0.330	0.330
106	नारायणसिंह वल्द प्रहलाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	238	0.310	0.310
107	मुलायमचंद वल्द बाबूलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	245	0.040	0.040
		भूमि स्वामी	272/1	0.190	0.190
		भूमि स्वामी	344	0.380	0.380
		भूमि स्वामी	355	0.350	0.350
		भूमि स्वामी	357	0.860	0.860
		भूमि स्वामी	361	0.680	0.680
108	जितेन्द्रकुमार राजेन्द्रकुमार पिता रामनारायण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	247/2	0.020	0.020
		भूमि स्वामी	262	0.020	0.020
		भूमि स्वामी	266	0.020	0.020
		भूमि स्वामी	267	0.260	0.260
		भूमि स्वामी	267/392	0.030	0.030
		भूमि स्वामी	268/1	0.030	0.030
		भूमि स्वामी	348	1.280	1.280
		भूमि स्वामी	363/1	0.400	0.400
		भूमि स्वामी	383/1	0.270	0.270
		भूमि स्वामी	389	1.000	1.000
109	जीवन पिता गजराज कमलाबाईद्रोपतीबाई पुत्री पंचा पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	249	0.030	0.030
110	रामस्वरूप वल्द मूलचंद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	250	0.040	0.040
111	नन्नाबाई बेवा जवाहरशांतिबाई पुत्री जवाहरसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	252	0.040	0.040
112	अनुज कुमार पिता सूर्यप्रकाश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	258/2	0.030	0.030
		भूमि स्वामी	317/4	0.170	0.170
113	मंगू मन्ना पिता दौलत गुडडीबाई कल्लोबाई पुत्री दौलत पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	259/1	1.050	1.050
114	श्याम वल्द आलम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	259/2	1.050	1.050
115	परसराम श्रीबाई शीलाबाई पिस. घासीराम प्रदीप जयदीप नाबा. पिस. गनेश बली व खुद मां कविता बेवा गनेश हरपा धनसींग पिस. बुद्धा भुग्गाबाई पुत्री बुद्धा हरीनारायण रामशंकर पिता तुलसीराम शशी पुत्री तुलसीराम भागवती बेवा तुलसीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	260	0.040	0.040
116	शंकरलाल रामप्रसाद रमेश देवी पिस. हीरा छोटेला निरपत अशोक महेश सुरेश बल्ले पिस. हरीराम चिरोजीबाई पुत्री हरीरामकेलाश संतोष पिता मुल्ले हरिबाई पुत्री मुल्ले पोथीबाई पुत्री छिमाधर प्रभाबाई गुडडीबाई पुत्री प्यारेलाल सूरजबाई बेवा प्यारेलाल दीपक जोगेश पिता गोपाल लक्ष्मी बेवा गोपाल दीपाली पुत्री गोपाल विजय प्रवेश संतराम पिता आशाराम सियाबाई बेवा आशाराम सपना पुत्री आशाराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	264	0.050	0.050
117	जितेन्द्रकुमार वल्द रामनारायण पता सा.देह	भूमि स्वामी	265	0.020	0.020

	भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	362	2.840	2.840
118	जनपद विकास खंड राहतगढ़प्राथमिक शाला परासरी कलां पता सा.देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	271	0.210	0.210
119	हरिओम वल्द ऋषिराज पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	296	0.710	0.710
120	प्रिस वल्द महेन्द्र कुमार माया वेवा महेन्द्र रचना राखी पुत्री महेन्द्र पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	298/394	0.190	0.190
		भूमि स्वामी	343	0.300	0.300
		भूमि स्वामी	352	0.150	0.150
		भूमि स्वामी	353	0.730	0.730
121	रामिल अनशुल स्नेहा ना वा पिस बालाप्रसाद वली व खुद मां राधारानी बेवा बालाप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	302/1	0.180	0.180
		भूमि स्वामी	304/2	0.190	0.190
		भूमि स्वामी	304/4	0.190	0.190
		भूमि स्वामी	365/1	0.070	0.070
122	अभिनय वल्द सूर्य प्रकाश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	304/1	0.180	0.180
		भूमि स्वामी	317/3	1.200	1.200
		भूमि स्वामी	374	0.440	0.440
123	तुलसीराम वल्द धरमलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	308/1	0.010	0.010
		भूमि स्वामी	310/1	0.200	0.200
		भूमि स्वामी	310/5	0.530	0.530
		भूमि स्वामी	317/5	0.240	0.240
124	श्रीदेव जानकी रमनजी मंदिर बांके मौजा मु.सूर्यप्रकाश वल्द विष्णु प्रसाद,प्रब.कले.महो.सागर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	324	0.470	0.470
125	श्रीमंदिर श्री रामलाल जीमुह.सूर्यप्रकाश वल्द विष्णुप्रसाद बांके देह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	327	2.350	2.350
126	रविशकर पिता जगन्नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	328/1	0.750	0.750
		भूमि स्वामी	347	0.320	0.320
127	भोगीराम वल्द सुखलाल यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	329/1	1.360	1.360
128	विनयसिंह पिता ऋषिराजसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	329/3	0.800	0.800
129	रोहित पिता भारतसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	332/2	1.740	1.740
130	मिथलेश कुमारी पत्नि भारतसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	332/3	2.800	2.800
131	संध्यारानी पत्नि रविशकर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	341	0.720	0.720
132	चन्द्रा बाई पति मुलायमचंद पता सा.बेगमगंज भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	345	0.560	0.560
		भूमि स्वामी	356	0.450	0.450
133	रिषभकुमार वल्द बाबूलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	351	0.820	0.820
		भूमि स्वामी	354	0.200	0.200

134	महेन्द्रकुमार वल्द लालचंद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	364/2	0.020	0.020	
135	प्रभा पुत्री द्वारका प्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	383/2	0.120	0.120	
		भूमि स्वामी	383/3	0.150	0.150	
		भूमि स्वामी	384/3	0.150	0.150	
		भूमि स्वामी	386	0.780	0.780	
136	राजेन्द्र कुमार वल्द रामनारायण पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	384/1	0.300	0.300	
		भूमि स्वामी	391	1.530	1.530	
137	गणेशप्रसाद वल्द मोहनलाल पता सा.देह भूमि स्वामी गणेशप्रसाद वल्द मोहनलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	384/2	0.150	0.150	
138	श्रीमति शोभा देवी पत्नि सूर्यप्रकाश पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	388/2	2.000	2.000	
योग			438	244.740	242.870	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला-सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निदेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला-सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्रमांक 90-अ-82 वर्ष 2018-19-मौजा छिन्दी बैतूल, दिनांक 12 दिसम्बर 2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा हे.	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	छिन्दी	17.096	छिन्दी लघु जलाशय

अनुसूची - 2

अ.क.	खसरा नंबर	रकबा हे0 में	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4	5
1	164/2	0.270	0.270	सुभाष वल्द हरिकृष्णा वल्द डबल सा देह
2	164/3	0.128	0.128	नान्हु बे.जियालाल पंखुडीया मुंननी जुरसो पि. जियालाल उत्रो बे. बिकट प्रभू छोटे प्रहलाद मुत्री व. बिकट सरस्वती मुनी पि. बिकट जाति रघुवंशी पता निवास गाम भूमि स्वामी
	171/2	0.420	0.198	
	529/2	1.153	0.239	
	171/1	0.421	0.199	
	529/1	1.153	0.239	

3	172/1	0.322	0.191	मुन्नी बाई अंजनसिंह रघुवंशी
4	172/2	0.322	0.191	बत्ता बाई पिता अंजनसिंह रघुवंशी सा.देह
5	165	0.543	0.543	रामकिशोर हरिकृष्णा पिता झब्बल सा.देह
	167	0.283	0.283	
	174	0.806	0.425	
	531	0.178	0.178	
	534	0.275	0.275	
6	161	2.185	1.578	सिट्टी रघु गुरुदयाल वल्द प्रेम अनिता अनरूपा पिता प्रेम उपेन्द्र सिंह वल्द ज्ञानसिंह इमरत बेवा प्रेम कंचनिया पिता छोटे फुला कंचनिया पिता छोटे सा० देह
7	160/1	0.555	0.555	गुलजार व. ज्ञानी सा० देह
8	160/2	0.069	0.069	लालसिंह उर्फ उपेन्द्र सिंह वल्द ज्ञानसिंह सा० देह.
9	159	0.243	0.243	गुलजारसिंह व. ज्ञानीसिंह रघुवंशी सा० देह
10	158	0.397	0.397	राजेन्द्रसिंह बिन्द्रेसिंह व. गुलजारसिंह सा० देह.
11	155	1.007	0.453	धनपाल मनु व.सोमलाल उन्नतिया पिता सोमलाल बिल्लो बेवा सोमलाल सा०देह रामदयाल धनपाल मनु व. सोमलाल उन्नतिया पिता सोमलाल विकतिया बे० सोमलाल धनलाल बेवा भदू तन्नी बाई बेवा रामदयाल सा.देह
12	156/1	0.603	0.130	चरणलाल वल्द धनलाल सा.देह
13	156/2	0.461	0.154	सुखनन्दन व. उमकी सा०देह
14	162	0.514	0.514	सिट्टीसिंह रघुसिंह गुरुदयाल व. प्रेमसिंह इमरत बेवा प्रेमसिंह अनिता अनरूपा पिता

				प्रेमसिंह सा0 देह.
15	166	0.405	0.405	कल्लू व. झब्बलसा0देह.
	170	0.178	0.178	
	532	0.372	0.372	
16	168	1.214	1.214	रामसिंग व. माखनसिंह सा0देह
17	169	0.405	0.405	रतनिया बेवा हिकमत प्रेम व. छोटे फुला कचनिया पिता छोटे सा0देह
18	538	1.344	1.255	रामसिंह व. रघुबिर देवकन्या, राजकन्या, रंजना मंजु पिता रघुबीर कल्लू रामकिशोर हरि कृष्णा व. झब्बलसिंह गौरा मुन्नी शारदा पिता झब्बल बसन्ती बेवा झब्बल रघुवंशी सा0देह.
19	539	4.917	2.073	हरिकृष्णा व. झब्बल गौरा मुन्नी शारदा पिता झब्बल बसन्ती बेवा झब्बल सा0देह सिटटी रघु गुरुदयाल व. प्रेम इमरत बेवा प्रेम अबला पिता हिकमत सा0देह अनित अनरूपा पि. प्रेम
	540	0.263	0.024	
20	530/2	0.570	0.570	रामकिशन व. माखन रघुवंशी सा0देह
	535	0.902	0.902	
21	536	0.417	0.417	नन्हु व. जियालाल प्रभुछोटे प्रहलाद मन्नु व. बिकट सरस्वती मुन्नी पिता बिकट धन्ना बेवा रघुवीर भूमि स्वामी देवकी रंजू मंचू मुन्नी पि. रघुवीर दिपवती बे. रघुवीर सा0देह
22	542/1	0.297	0.023	मुन्ना व. लखन रघुवंशी सा0देह.
23	163	0.364	0.364	प्रेम व. छोटे सा0देह.
	173	0.611	0.389	
24	164/1	0.128	0.128	नानहु व. जियालाल पखुडिया मुन्नी जुस्सी पिता जियालाल उन्नो बेवा बिकट प्रभु छोटे प्रहलाद व. बिकट सरस्वती मुन्नी पिता

				बिकटलाल सा0देह
25	542/2	0.298	0.022	महादेव व. लखन रघुवंशी सा.देह
	530/1	0.571	0.571	
26	156/3	0.142	0.142	फुलवन्ती जौ. इन्द्रे सिंह रघुवंशी सा0देह
	156/4	0.142	0.142	
27	522	0.636	0.024	अबला पिता हिकमत सा.देह
	527	0.607	0.024	
	43	27.091	17.096	महायोग

(2)- चूंकि छिन्दी लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 91-अ-82 वर्ष 2017-18-मौजा हिवरा-14491

बैतूल, दिनांक 12 दिसम्बर 2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा हे.	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	हिवरा	12.335	छिन्दी लघु जलाशय

अनुसूची - 2

अ.क.	खसरा नंबर	रकबा हे0 में	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4	5
1	1	10.469	0.300	धनपालसिंह वल्द सोमलालसिंह इन्द्रेयसिंह वल्द धनपाल, राधेश्याम मधुरसिंह गौतमसिंह राजेश हरिशंकर गोपाल वल्द रामदयाल सोनम ना.बा.वली मां राधेश्याम तन्ली बेवा रामदयाल रघुवंशी सा
	294	1.473	1.473	
	296	2.351	1.926	
2	292/1	1.214	0.223	बोन्द्रया वल्द किसन पता सा.देह
3	292/2	1.068	0.130	मदन उर्फ फकीर गन्नु व किसन सा.देह
4	3/1	0.524	0.032	रामभरोसे वल्द जसवन्त पंवार सा.देह
5	291/1	1.214	0.089	तुलसी जौ. कृष्णा पंवार सा.देह
6	291/3	4.046	0.202	चन्द्रकिशोर वल्द कमलकिशोर पंवार सा.देह

7	297/1	1.280	1.280	लालसिंह वल्द ज्ञानसिंह रघुवंशी सा. छिन्दी
8	297/2	1.213	1.213	गुलजारसिंह ज्ञानसिंह रघुवंशी सा. छिन्दी
9	299	2.549	1.028	ढोडी बेवा अल्पू भोजू अभिराम, बाकेलाल वल्द अल्पू रेखा पिता अल्पू सरस्वती सुमरती बिलसी वल्द झबली श्यामवती पिता ढीमर सा.देह
10	300/3	0.700	0.350	नान्ही बेवा मोहनलाल लखन प्रीतम अंजू फुन्दू वल्द मोहनलाल बिरबती पिता मोहनलाल जाति मेहरा सा.देह
	300/5	0.780	0.780	
11	307/2	2.262	2.062	शिवपाल वल्द फुस्या सा. देह ग्राम नौकर कोटवार
12	300/4	0.406	0.406	किसन, रतन वल्द छेदी, चती, सुकलो कचरा पिता छेदी मिट्टन जौ. रतन महेरा सा.देह
	300/6	0.780	0.780	
13	2	0.061	0.061	रामदीन, रामराव, मल्लू वल्द गुलाब तुलसीया पिता तुला सुरतलाल वल्द राधेलाल कृष्णा, रामकिशोर वल्द राधेलाल माहो बेवा राधेलाल सा.देह
		32.39	12.335	महायोग

(2)- चूंकि छिन्दी लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्रमांक 8678

राजगढ़, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पिपल्याकुमार तालाब सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम पीपल्या, चौंसला, टोडरी के लिए डूब में प्रभावित शेष भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

पिपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित शेष भूमि ग्राम पीपल्या

स.क.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	रामा पिता भेरु अनुसूचित जाति पता नि. ग्राम भू-स्वामी	1/5/1	2.656	2.656
	योग:-	1	2.656	2.656
2	बीरमसिंह पिता मोतीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	3/4	1.012	1.012
	योग:-	1	1.012	1.012
3	भेरुसिंह पिता रोड जी जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	320/1	0.338	0.338
	योग:-	1	0.338	0.338
4	प्रेमसिंह पिता शिवनारायण जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	320/2	0.231	0.231
	योग:-	1	0.231	0.231
5	मांगीलाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	316/1/1	0.579	0.200
	योग:-	1	0.579	0.200
6	कन्हैयालाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	316/1/2	0.579	0.200
	योग:-	1	0.579	0.200
7	मोतीलाल, किशनलाल, बद्रीलाल, सरदारबाई, दरियावबाई पिता दोला मु. भूलाबाई बेवा दोला जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	313	1.303	0.316
	योग:-	1	1.303	0.316
8	बालूसिंह पिता नारायणसिंह, पूरीबाई बेवा नारायणसिंह जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	316/1/3	0.359	0.359
	योग:-	1	0.359	0.359

स.कं.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
9	प्रेमसिंह पिता शिवनारायण जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	319/1	0.092	0.092
	योग:-	1	0.092	0.092
10	बालू पिता प्रभू अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी	321/1/2	0.500	0.500
	योग:-	1	0.500	0.500
11	बंशी पिता पन्ना अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी	321/2	0.500	0.500
	योग:-	1	0.500	0.500
12	घनश्याम पिता प्रभू सोरमबाई पति घनश्याम अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी	321/3	0.500	0.250
	योग:-	1	0.500	0.250
13	भंवरलाल पिता गोपी, सोरम पति भंवरलाल अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी	321/4	0.500	0.250
	योग:-	1	0.500	0.250
14	अमृतीबाई पति मांगीलाल भगवती मनीषा, भैयालाल ना.बा. पिता मांगीलाल अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी	321/5	0.500	0.100
	योग:-	1	0.500	0.100
15	बीरम पिता बापू रेखाबाई पति बीरम अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी	321/11	0.500	0.500
	योग:-	1	0.500	0.500
16	प्यारजी पिता गुलाबजी, सरदार बाई बेवा गुलाबजी जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	332/1/1	0.350	0.060
	योग:-	1	0.350	0.060
17	शिवसिंह पिता हीरालाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	335/8	1.012	0.212
	योग:-	1	1.012	0.212
18	कालूसिंह पिता निर्भयसिंह जाति सौधिया ग्राम भूमि स्वामी	3/11	0.775	0.775
	योग:-	1	0.775	0.775
19	मांगीलाल पिता किशनलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	3/12	0.775	0.775
	योग:-	1	0.775	0.775
20	भंवरीबाई पति मांगीलाल प्रेमबाई पति बापूसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	3/13	0.775	0.775
	योग:-	1	0.775	0.775

स.क.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
21	बालूसिंह पिता धूलजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	3/14	0.775	0.775
	योग:-	1	0.775	0.775
22	हजारी पिता गोपी अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी	3/15/1	0.522	0.522
	योग:-	1	0.522	0.522
23	भंवरीबाई पति मांगीलाल प्रेमबाई पति बापूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	3/15/2	0.253	0.253
	योग:-	1	0.253	0.253
24	धूलजी पिता हीरालाल अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी	3/16	0.684	0.684
	योग:-	1	0.684	0.684
25	प्रभू पिता भेरू अनुसूचित जाति निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/17	0.700	0.700
		3/5/1/1	0.337	0.114
	योग:-	2	1.037	0.814
26	रतन पिता भेरू अनुसूचित जाति निवासी गाम भूमि स्वामी	3/18	0.700	0.700
	योग:-	1	0.700	0.700
27	पूरा पिता भेरू अनुसूचित जाति निवासी गाम भूमि स्वामी	3/19	0.600	0.600
	योग:-	1	0.600	0.600
28	प्रेम पिता पन्ना अनुसूचित जाति निवासी गाम भूमि स्वामी	3/20	0.785	0.785
	योग:-	1	0.785	0.785
29	मांगीलाल, कन्हैयालाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	3/21	0.400	0.400
	योग:-	1	0.400	0.400
30	प्रेमसिंह पिता पन्नालाल, पारीबाई, बेवा पन्नालाल अनुसूचित जाति नि.ग्राम भूमि स्वामी	3/22	0.385	0.385
	योग:-	1	0.385	0.385
31	भंवरीया पिता देवा अनुसूचित जाति नि.ग्राम भूमि स्वामी	3/23	0.775	0.775
	योग:-	1	0.775	0.775
32	भंवरीया, कमलाबाई, रेशमबाई, सोरमबाई पिता देवीलाल, गुलाब बाई बेवा देवीलाल अनुसूचित जाति नि.ग्राम भूमि स्वामी	3/24	0.775	0.775
	योग:-	1	0.775	0.775
33	बापूलाल पिता देवीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	3/25	0.775	0.775
	योग:-	1	0.775	0.775

स.कं.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
34	कालू पिता गंगाराम, घीसाबाई, अनोखबाई होकमबाई पिता गंगाराम गंगाबाई बेवा गंगाराम जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	1/6/2	0.759	0.759
	योग:-	1	0.759	0.759
35	कंवरलाल, अमरसिंह पिता भंवरलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	1/1/2	0.253	0.253
	योग:-	1	0.253	0.253
36	गोपी पिता हीरा अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी	1/1/3	0.506	0.506
	योग:-	1	0.506	0.506
37	कालू पिता गोदड जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	315/1	0.380	0.152
	योग:-	1	0.380	0.152
38	मांगीलाल पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	1/6/1/1	0.530	0.530
	योग:-	1	0.530	0.530
39	कालू पिता गोदड जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	314/1	0.310	0.310
	योग:-	1	0.310	0.310
40	बालूसिंह पिता नारायणसिंह, पूरीबाई बेवा नारायणसिंह जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	314/2	0.310	0.310
	योग:-	1	0.310	0.310
41	बीरमसिंह पिता नाथू जाति सौंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	3/2/1	0.394	0.146
	योग:-	1	0.394	0.146
42	बीरमसिंह, करणसिंह, सुल्तानसिंह पिता नाथूलाल गंगाबाई, रतनबाई, छीताबाई पिता नाथूलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	3/2/2	0.365	0.329
	योग:-	1	0.365	0.329
43	रामलाल पिता भेरू जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	3/5/1/2	0.337	0.337
	योग:-	1	0.337	0.337
44	प्रभूलाल पिता देबीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/8	1.012	0.063
	योग:-	1	1.012	0.063
	महायोग :-	45	27.458	22.039

स.क.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
पिपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित शेष भूमि ग्राम चौंसला				
1	जगन्नाथ पिता मदन अनुसूचित जाति नि. गाम भूमि स्वामी	85/4/1/1	0.050	0.050
	योग:-	1	0.050	0.050
2	जसवनतसिंह पिता जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/1/1	1.138	0.228
	योग:-	1	1.138	0.228
3	रतनसिंह पिता जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/1/2	0.189	0.189
	योग:-	1	0.189	0.189
4	कृष्णपालसिंह पिता जगन्नाथसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	85/1/3	0.190	0.190
	योग:-	1	0.190	0.190
5	कन्हैयालाल पिता मदन अनुसूचित जाति पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	85/4/2/1	0.064	0.064
	योग:-	1	0.064	0.064
6	प्रेमसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	88/1/1	0.159	0.159
	योग:-	1	0.159	0.159
7	महेन्द्रपालसिंह पिता जालमसिंह जाति राजपूत पता नि.राजगढ़ भूमि स्वामी	88/2/1	0.132	0.132
	योग:-	1	0.132	0.132
8	प्रहलादसिंह पिता दलपतसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	90/1/2/1	0.232	0.232
	योग:-	1	0.232	0.232
9	विजयसिंह पिता प्रहलादसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	90/1/3/1	0.380	0.380
	योग:-	1	0.380	0.380
10	कृष्णाकुंवर पति चित्रभानसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	90/2/1	0.341	0.341
	योग:-	1	0.341	0.341
	महायोग :-	10	2.875	1.965
पिपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित शेष भूमि ग्राम टोडरी				
1	मांगीलाल पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	131/2	0.500	0.150
	योग:-	1	0.500	0.150
	महायोग :-	1	0.500	0.150
	योजना का महायोग :-	56	30.833	24.154

भूमि के नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक/१११६/भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके सलग अनुसूची के खान (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2017-18 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ब्यावरा-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में शेष प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम कचनारीया के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा-19 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-(1)

ब्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील ब्यावरा की शेष प्रभावित भूमि

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.में.
1	2	3
1	ग्राम कचनारीया (निजी भूमि)	2.573

अनुसूची (2)

रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में शेष प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि का विवरण

क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
ग्राम कचनारीया				
क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रकबा	प्रभावित रकबा
1	दशरथ पिता रामा जाति दागो नि ग्राम	623	0.051	0.051
	योग:-	1	0.051	0.051
2	गंवरी बाई पुत्री हीरालाल सोदर बाई बैवा हीरालाल जाति खारो	972	0.480	0.350
		1241	0.544	0.044
		1242	0.278	0.099
		1245	1.683	0.600
	योग -	4	2.985	1.093
3	महेश पिता हीरालाल शांतिदास बैवा हीरालाल विक्रम गिरिराज पिता लक्ष्मीनारायण जाति खारो नि ग्राम	1233/2	0.042	0.042
		1234/2	0.076	0.076
		1246/2	0.097	0.080

1	2	3	4	5
	योग:-	3	0.215	0.198
4	कैलाश राधेश्याम सुखराम रामबाबू पिता उमराव सिंह समरथबाई देवा उमराव सिंह जाति खाती नि गा	1233/3	0.042	0.042
		1234/3	0.076	0.076
		1246/1	0.097	0.097
	योग:-	3	0.215	0.215
5	सुखराम पिता ईशर लाल जाति खाती नि गा	1235/1	0.164	0.044
		1239/1	0.206	0.075
		1240/1	0.177	0.177
		1282	0.379	0.173
	योग:-	4	0.926	0.469
6	अनोखीलाल सीताराम पिता हरिप्रसाद जाति खाती नि गा	1235/2	0.240	0.044
		1239/2	0.414	0.205
		1240/2	0.354	0.284
	योग:-	3	1.008	0.533
7	राजेश साहू पिता शिवनाशयण जाति तेली नि. व्या.भू.	56/1	0.620	0.014
	योग:-	1	0.620	0.014
	योग:-	किता-22	6.020	2.573

भूमि का नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्रमांक 2361-भू-अर्जन-17

देवास, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12.11.2014 के परिपालन में आपसी सहमति से कय नीति के अंतर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी नहर परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए आवश्यक हैं।

// अनुसूची //

- | | | |
|-----------------|----|------------|
| 1. ग्राम का नाम | :- | बिच्छाखेडी |
| 2. तहसील | :- | सतवास |
| 3. जिला | :- | देवास |
| 4. कुल प्रस्ताव | :- | 01 |

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्र.	अर्जन किये जाने वाली भूमि का रकबा	कुल प्रस्तावित मूल्य
1	2	3	4		
01	कृषि भूमि	श्रीमती लक्ष्मीबाई पति चतुर्भुज देशवाली	120	0.028	38080

कुल सर्वे नंबर- 01 कुल प्रस्ताव- 01

दतूनी नहर परियोजना के अंतर्गत ग्राम बिच्छाखेडी की उपरोक्तानुसार भूमि राज्य सरकार के संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में भूमि कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

श्रीकान्त पाण्डेय, कलेक्टर.

न्यायालय,, कलेक्टर, (नजूल), जिला-सीधी मध्यप्रदेश
(पीठासीन अधिकारी-दिलीप, आ.ए.एस., कलेक्टर, जिला सीधी)

प्र. क्र. 0001-अ-20(1)2018-2019

आवेदन क्रमांक-0115-आर.सी.एम.एस.

प्रकरण क्रमांक/0001/अ-20(1)/2018-2019
आवेदन क्रमांक/0115/आर.सी.एम.एस.

मध्यप्रदेश शासन

द्वारा-नजूल अधिकारी जिला सीधी (म0प्र0).....आवेदक।

बनाम

1. मोहन लाल सेन तनय बाबादीन सेन निवासी ग्राम चुरहट
2. अब्दुल गफ्फार तनय जहूर मोहम्मद निवासी ग्राम चुरहट
3. हारुन रसीद तनय अब्दुल मुमताज निवासी ग्राम चुरहट
4. रामस्वयम्बर तनय मोलइया सोनार, निवासी ग्राम दादर
तहसील चुरहट जिला सीधी (म0प्र0).....आपत्तिकर्ता।

आदेश

(दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 को पारित)

सीधी जिला अन्तर्गत नगर पालिका परिषद सीधी एवं नगर पंचायत चुरहट/रामपुर नैकिन/मझौली की शासकीय भूमियों को नजूल भूमि घोषित किये जाने के लिये प्रत्येक भूमि खसरा नम्बर एवं रकबा सहित ग्राम वार सूची प्राप्त होने पर कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

2. उपरोक्त विवरण प्राप्त होने पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/50,51,52,53./कले0 /नजूल/2018 सीधी दिनांक 24.04.2018 को इशतहार का प्रकाशन कराया जाकर दिनांक 03.05.2018 तक आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी।

3. (1) आपत्तिकर्ता मोहनलाल सेन के द्वारा इस आशय की आपत्ति पेश की गई कि ग्राम राजघाट की भूमि पुराना खसरा क्रमांक 6 रकबा 8.37 एकड़, 8 रकबा 2.95 एकड़, 9 रकबा 0.45 एकड़ मेरे परदादा स्व0 रामप्रसाद नाई के नाम तत्कालीन इलाकेदार द्वारा रैयत पट्टा प्रदान किया गया था। अधिकार अभिलेख आराजी नम्बर 10, 12 व 13 निर्मित किये गये हैं जिनसे हाल बन्दोबस्त के समय नवीन नम्बर 7 रकबा 3.30 हे0 तैयार किया गया है शेष रकबा मध्यप्रदेश शासन घोषित कर दिया गया। मेरे द्वारा नक्शा एवं खसरा सुधार हेतु आवेदन दिया गया जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर मानते हुये निरस्त कर दिया गया था तथा प्रकरण माननीय न्यायालय को अग्रेषित कर दिया गया था जिसे भी निरस्त कर दिया गया जिसकी अपील मेरे द्वारा अपर आयुक्त रीवा लिंक कोर्ट सीधी के समक्ष अपील की गयी है जो विचाराधीन है।

(2) आपत्तिकर्ता अब्दुल गफ्फार, हारून रसीद द्वारा इस आशय की आपत्ति पेश की गयी है कि ग्राम गुलबासपुर की उनके स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 170, 172, 174, 175 के मध्य में शासकीय भूमि नम्बर 171, 173 हैं, जिसमें हमेशा से हमारा कब्जा रहा है।

(3) आपत्तिकर्ता रामस्वयम्बर सोनार द्वारा इस आशय की आपत्ति की गयी कि ग्राम दादर की भूमि क्रमांक 150/2 रकबा 0.92 हे० पुराना नम्बर 124 का रकबा 2.73 एकड़ इलाके की भूमि थी। अंश रकबा 2.30 एकड़ प्रार्थी के बाबा ददनी सोनार का कब्जा दखल व अधिकार अभिलेख में खसरा नम्बर 106 तैयार किया गया व हाल बन्दोबस्त में नया नम्बर 150 रकबा 2.95 हे० तैयार किया गया एवं शासकीय दर्ज किया गया। अंश रकबा 2.00 हे० ग्रामीण विकास विभाग मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के नाम कर दिया गया। बन्दोबस्त त्रुटि का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी चुरहट में प्रस्तुत किया गया जिसे निरस्त कर दिया गया है जिसकी अपील कमिश्नर न्यायालय में की गयी है जो लंबित है।

4. आपत्तिकर्ता गण को दिनांक 04.06.2018 को समक्ष में सुना गया। आपत्तिकर्तागण द्वारा आपत्ति में अंकित भूमियों के सम्बन्ध में किसी वरिष्ठ न्यायालय में विचाराधीन अपील प्रकरण के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो कि आपत्ति में अंकित भूमियों के सम्बन्ध में कार्यवाही न किये जाने के लिये वरिष्ठ न्यायालय से स्थगित किया गया है। चूंकि उपरोक्त भूमियाँ भू-अभिलेखों में मध्यप्रदेश शासन दर्ज हैं। आपत्तिकर्तागण में से किसी के द्वारा चाहे जाने पर भी स्वामित्व सम्बन्धी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। वाद विचार प्राप्त उक्त भूमियाँ शासकीय होने से आपत्तियों को निरस्त किया जाता है। उपरोक्त आपत्तिकर्तागण के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की गई है।

5. अतएव राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार, क्रमांक-1 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत दिनांक 24.04.2018 को जारी इशतहार के अनुसार नगर पालिका परिषद सीधी के ग्राम जमोड़ी खुर्द की कुल 34 किता, ग्राम सीधी खुर्द की कुल 46 किता, ग्राम अधियार खोह की कुल 06 किता, नगर पंचायत रामपुर नैकिन के ग्राम बेलकेशरी की कुल 82 किता, ग्राम मुर्तला कोठार की कुल 39 किता, ग्राम मुर्तला पवाई की कुल 50 किता, ग्राम कोदईडॉड की कुल 41 किता, ग्राम रामपुर की कुल 16 किता, ग्राम बिहरिया टोल की कुल 03 किता, ग्राम रायखोर की कुल 30 किता, नगर पंचायत मझौली के ग्राम डांगी की कुल 19 किता, ग्राम चुवाही की कुल 138 किता, ग्राम भैसवाही की कुल 36 किता, ग्राम मझौली की कुल 71 किता, ग्राम कोटमा की कुल 10 किता एवं नगर पंचायत चुरहट के ग्राम गुलबासपुर की कुल 13 किता, ग्राम राजघाट की

कुल 03 किता, ग्राम दादर की कुल 16 किता, ग्राम बरहाई की कुल 22 किता, ग्राम रामनगर की कुल 02 किता, ग्राम रमकुड़वा की कुल 30 किता, ग्राम भटहा की कुल 22 किता, ग्राम उमरिया की कुल 15 किता, ग्राम नकबेल की कुल 63 किता शासकीय भूमियों जिसका विवरण निम्नानुसार है, को नजूल घोषित किया जाता है:-

तहसील मझौली

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा	रकबा	क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा	रकबा
1	डांगी	38/2	0.01	11	डांगी	521	0.467
2	"	46/2	0.02	12	"	523	14261
3	"	47/2	0.01	13	"	524	0-88
4	"	73/2	0.01	14	"	525	0-50
5	"	82/2	0.01	15	"	527	0.59
6	"	238	0.16	16	"	531	1.25
7	"	330	0.50	17	"	536/1/1	1.57
8	"	332	0.73	18	"	540	0.35
9	"	517	0.12	19	"	542	0.69
10	"	519/2	0.20			कुल किता उन्नीस	
		-----	-----			-----	-----
01	चुवाही	5	0.65	55	चुवाही	579	0.173
02	"	21/3	0.008	56	"	583	0.093
03	"	23/1	0.34	57	"	603	0.125
04	"	25	0.101	58	"	623	0.364
05	"	38	0.338	59	"	658	0.197
06	"	39	0.243	60	"	703	0-081
07	"	46	0.466	61	"	783	0.097
08	"	48/1	0.362	62	"	788	0.214
09	"	51	0.129	63	चुवाही	804	0-077
10	"	58/4	1.051	64	"	833/9	0.008
11	"	62	0.607	65	"	835/2	0.006
12	"	66/1	8.59	66	"	839/6	0.006
13	"	67/1	1.235	67	"	844	0.101
14	"	157/1	0-405	68	"	845/2	0.016
15	"	159/1	0-206	69	"	846/2	0.012
16	"	160/1	0-016	70	"	497	0.307
17	"	161 / 1	0-073	71	"	502/2	0.006
18	"	166/1	1-462	72	"	503/2	0.006
19	"	168/1	0-259	73	"	504/2	0.008
20	"	179/2	0-021	74	"	507/2	0.02
21	"	188	0-194	75	"	509/2	0.012
22	"	194/1	0-640	76	"	509/3	0.02
23	"	195	0-271	77	"	510/2	0.02
24	चुवाही	196	1-728	78	"	513	1-878

25	चुवाही,	197 / 1	0-401	79	..	514	0.219
26		226	0.097	80	..	528/1/क मिन-2	0.004
27	..	231	0.692	81	..	528/1/ख मिन-1	0.004
28	..	251	0.263	82	..	528/1/ ग मिन-2	0.004
29	..	257	0.138	83	..	528/1/ घ मिन-2	0.004
30	..	259	0.024	84	..	529/2	0.016
31	..	270/2	0.757	85	..	531/2	0.008
32	..	338	0.073	86	..	532/2	0.016
33	..	340	0.032	87	..	534/1/ मिन -2	0.01
34	..	351	0.121	88	..	534/2/ मिन -2	0.01
35	..	358	0-081	89	..	848/2	0.016
36	..	387	0.036	90	..	849/6	0.008
37	..	403/1/क मिन-1	0.001	91	..	849/7	0.008
38	..	434	0.036	92	..	850/3	0-02
39	..	445	0.073	93	चुवाही..	851/2	0-008
40	..	460/1/1	0.375	94	चुवाही..	851/4	0-008
41	..	461/1	0-008	95	..	851/6	0-008
42	..	462/1	0-219	96	..	851/8	0-008
43	..	467/1	0-599	97	..	852/2	0-008
44	..	476/6	0.089	98	..	853/2	0-012
46	..	477/3	0.04	99	..	867/2	0.022
46	..	479/1	0-154	100	..	867/3	0-011
47	..	479/2	0.693	101	..	868	0-198
48	..	480/1	0.089	102	..	874/2	0-008
49	..	480/3	1.113	103	..	875/2	0-012
50	..	482/1	0.439	104	..	877/5	0-02
51	..	483/1/ क	0.303	105	..	881/2	0-04
52	..	484/1/ क	0.345	106	..	600/916	4-856
53	..	489/2	0.526	107	..	602/919	14-596
54	..	493/1	0-121		कुल किता	एक सौ सात	
1	भैसवाही	4	0.024	19	भैसवाही	229	0.085
2	..	7	1.044	20	..	232/3	0.02
3	..	9	0.053	21	..	302	0.02
4	..	14	0.036	22	..	308	0.134
5	भैसवाही	15	0.093	23	भैसवाही	310	0.008
6	..	16	0.186	24	..	313	0.028
7	..	27	0.073	25	..	315/1	0.121
8	..	60	0.121	26	..	316/1	0.04
9	..	64	0.505	27	..	330/1	0.024
10	..	70	0.061	28	..	338/1	0.032
11	..	92	0	29	..	344/1	0.049
12	..	129/2	0.283	30	..	346/1	0.053
13	..	136/2	0.339	31	..	347/1	0.024
14	..	136/3	0.308	32	..	349/2	0.004
15	..	137/1	1.003	33	..	356	
16	..	155/1/min-2	0.02	34	..	418	0.097
17	..	175	0.235	35	..	505	0.947
18	..	211/2	0.186	36	..	529/1	0.004
						कुल किता छत्तीस	

1	मझौली	69/996/2	0.085	37	मझौली	475/2	0.002
2	"	70/997/2	0.016	38	"	504	0.38
3	"	93/1	0.032	39	"	514	0.15
4	"	95/1	0.166	40	"	515	0.138
5	"	111/2	0.01	41	"	516	0.247
6	"	116	0.093	42	"	519	0.024
7	"	121/3	0.004	43	"	567/1/1	0.041
8	"	123	0.162	44	"	568	0.166
9	"	125	0.105	45	"	609	0.206
10	"	134	0.186	46	"	632 / 1क	0.016
11	"	153	0.083	47	"	632/4	0.032
12	"	197/2	0.121	48	"	640	0.016
13	"	198/1	0.101	49	"	647	0.065
14	"	267	0.049	50	"	758/3	0.001
15	"	276/2	0.012	51	"	785	0.562
16	"	280/2	0.068	52	"	794/1	0.105
17	"	281/2	0.009	53	"	828	0.166
18	"	292/2	0.024	54	"	830/ग	0.008
19	"	308	0.089	55	"	835	0.028
20	"	313	0.049	56	"	848	0.271
21	"	338/1	1.639	57	"	883	0.518
22	"	346	0.097	58	"	909	0.235
23	"	351	0.53	59	"	915	0.571
24	"	352	0.717	60	"	922/1/min-2	0.008
25	"	353	0.158	61	"	924	0.134
26	"	354	0.34	62	"	934	0.069
27	"	363/2	0.162	63	"	950	0.405
28	"	364	0.134	64	"	962	0.077
29	"	367	0.117	65	"	964	0.081
30	"	368	0.817	66	"	966	0.045
31	"	371/1	2.399	67	"	969	0.057
32	"	389	0.146	68	"	977	0.016
33	"	403/2	0.049	69	"	979	0.036
34	"	414	0.081	70	"	984	0.121
35	"	415	0.324	71	"	991/1	0.045
36	"	440/1	0.916		कुल किता	इकहत्तर	
1	कोटमा	7	5.83	6	कोटमा	148	0.13
2	"	43	0.82	7	"	159/2	0.01
3	"	58	0.09	8	"	171 / 4	0-
4	"	59	0.08	9	"	186	0.1
5	"	95	0.02	10	"	196	0.04
						कुल किता दस	
तहसील गोपद बनास							
1	जमोडी खुर्द	01	0.065	18	जमोडी खुर्द	377	0.036
2	"	25/1/ख	0.012	19	"	388	0.162
3	"	33	0.27	20	"	408	0.081
4	"	34	0.125	21	"	425	0.121
5	"	37	0.07	22	"	426	0.032
6	"	38	0.069	23	"	429	0.028
7	"	112	0.065	24	"	431	0.255

8	--	147	0.259	25	--	436	0.202
9	--	232	0.012	26	--	486	0.142
10	--	250	0.024	27	--	496	0.530
11	--	254	0.393	28	--	497	0.154
12	--	287	0.061	29	--	500	0.125
13	--	309/ मिन-1	0.100	30	--	525	0.405
14	--	319	0.028	31	--	534/4	0.202
15	--	335	0.372	32	--	552	0.040
16	--	370/ मिन-2	0.385	33	--	557/ मिन-2	0.291
17	--	375/1	0.032	34	--	595	0.206
						कुल किता चौतीस	
1	सीधी खुर्द	6	0.085	21	सीधी खुर्द	230	0.045
2	--	22	0.312	22	--	240	0.146
3	--	106/2	2.509	23	--	246	0.036
4	--	111	0.226	24	--	251	0.162
5	--	114	0.089	25	--	254	0.166
6	--	119	0.020	26	--	259	0.040
7	--	138	0.712	27	--	274	0.040
8	--	148	0.227	28	--	295	0.223
9	--	149	0.134	29	--	299	0.020
10	--	171	0.963	30	--	339	0.032
11	--	182	0.024	31	--	375	0.016
12	--	187	0.101	32	--	386/1	0.154
13	--	191	0.057	33	--	390	0.405
14	--	193	0.040	34	--	393	0.053
15	--	199	0.024	35	--	395	0.125
16	--	202	0.008	36	--	396	0.053
17	--	215	0.121	37	--	407	0.854
18	--	219	0.008	38	--	409/1	0.816
19	--	220	0.591	39	--	409/2	0.202
20	--	227/1	0.519	40	--	409/3	1.600
1	अधियार खोह	01	0.134		--	किता चालीस	
2		7	0.097				
3		8	0.053				
4		10	0.142				
5		20	0.061				
6		53	0.065				
		कुल छः					
		तहसील	चरहट				
1	चुरहट	505	0.012	11	..	1121	0.162
2	..	512/1	0.028	12	चुरहट	1274	5.099
3	..	539	0.049	13	..	1309	0.036
4	..	559	0.093	14	..	1315/5/2	0.064
5	..	684/2	0.012	15	..	1319	0.890
6	..	867	0.012	16	..	1326	0.506
7	..	870/1/95/1/990 ¹	0.126	17	..	1334	0.081
8	..	1072/1	0.060	18	..	1341	4.784

9	..	1072/3	0.053	19	..	1351	0.020
10	..	1076/1d	0.712			कुल किता उन्नीस	
1	गुलबासपुर	126	0.121	7	गुलबासपुर	198	0.036
2	..	129	0.024	8	..	206/2	0.70
3	..	138	0.036	9	..	207	1.348
4	..	171	0.024	10	..	213/2	0.588
		173	0.032	11	..	219/1	13.504
6	..	196	0.097			कुल ग्यारह किता	
1	दादर	1/1	3.160	11	दादर	98	0.04
2	..	12/2	0.41	12	..	99	0.03
3	..	13	2.40	13	..	113	2-12
4	..	14	5-83	14	..	147	7.43
5	..	15	1.50	15	..	148	0.22
6	..	37	0.30	16	..	150/2	0.92
7	..	39	0.35	17	..	152	1.86
8	..	60	0-52	18	..	208	0.90
9	..	80/1	9.53	19	..	210	0.11
10	..	96	0-04			कुल किता उन्नीस	
1	राजघाट	48	0.09	1	रामनगर	444	0.19
2	..	67	0.47	2	..	1319	0.04
3	..	138	0.12			कुल किता दो	
		कुल किता तीन					
1	कोल्दहा	1	0.07	15	कोल्दहा	199	0.06
2	..	12	0.02	16	..	209	0.01
3	..	15	0.07	17	..	253	0.60
4	..	17	0.08	18	..	275	0.01
5	..	20	0.12	19	..	292	0.03
6	..	21	0.02	20	..	295	0.25
7	..	27	0.16	21	..	296	0.10
8	..	69	0.12	22	..	297	0.09
9	..	88	0.03	23	..	301	0.25
10	..	152	0.04	24	..	302	0.03
11	..	190	0.04	25	..	303	0.06
12	..	191	0.18	26	..	304	0.05
13	..	193	0.39	27	..	306	0.06
14	..	195	0.50	28	..	315	0.51
						कुल किता अठ्ठाईस मात्र	
1	बरहाई	2	1.68	12	बरहाई	88	0.78
2	..	3	0.74	13	..	89	1.57
3	..	11	0.40	14	..	93	0.38
4	..	12	0.37	15	..	94	0.73
5	..	13	0.12	16	..	95	0.13
6	..	14	0.15	17	..	96	0.13
7	..	15	0.36	18	..	98	0.11

8	..	17	0.32	19	..	145/1	0.04
9	..	85	0.54	20	..	145/2	0.04
10	..	86	0.01	21	..	212	0.03
11	..	87	0.45		कुल किता	इक्कीस मात्र	
1	रमकुड़बा	1/208	0.04	18	रमकुड़बा	132	0.17
2	..	23	0.11	19	..	133	0.06
3	..	24	0.17	20	..	135	1.71
4	..	30	0.01	21	..	159	0.08
5	..	31	0.15	22	..	162	0.02
6	..	63	0.15	23	..	163	0.27
7	..	64	0.02	24	..	173	0.02
8	..	106	0.11	25	..	174	0.02
9	..	107	0.08	26	..	179	0.22
10	..	116	0.04	27	..	180	0.06
11	..	117	0.01	28	..	181	0.04
12	..	118	0.06	29	..	182	0.13
13	..	119	0.02	30	..	183	0.49
14	..	121	0.22	31	..	187	1.98
15	..	122	0.46	32	..	188	0.05
16	..	122/202	2.19	33	..	190	0.41
17	..	123	0.18	34	..	202	2.19
					कुल किता	चौतीस मात्र	
01	भटहा	13	0.03	12	भटहा	91/1	0.49
02	..	37	0.14	13	..	93	0.19
03	..	41	0.11	14	..	95	0.02
4	..	59	0.09	15	..	97	0.01
5	..	62	0.03	16	..	118	0.08
6	..	65	0.04	17	..	124	0.06
7	..	67	0.09	18	..	144/1	0.483
8	..	69	0.24	19	..	150	0-09
9	..	80	0.07	20	..	154/1	0.385
10	..	87	0.02	21	..	156	0-08
11	..	89	0.02	22	..	161	0.02
					कुल किता	बाईस मात्र	
1	उमरिहा	47	0.34	9	उमरिहा	119	0.26
2	..	60/2	0.05	10	..	122	0.15
3	..	71	0.22	11	..	140	0.06
4	..	80/2	0.01	12	..	157	0.04
5	..	81	0.04	13	..	171	0.04
6	..	88	0.04	14	..	193	0.03
7	..	94	0.08	15	..	194	0.23
8	..	118	0.04			कुल किता पन्द्रह	
1	नकबेल	1	0-04	45	नकबेल	1333/2	0.299
2	..	2	0.045	46	..	1334/1	0.053
3	..	3	0.036	47	..	1377/1	0.154

4	नकबेल	4	0.077	48	नकबेल	1399/6	0.049
5		5	0.045	49		1406/1	0.174
6		8	0.081	50		1438	0.591
7		9	0.105	51		1439/2/11	0.016
8		10	0.101	52		1475	0.089
9		14/1	0.073	53		1489	0.073
10		14/3	0.032	54		1490	0.04
11		28/2	0.032	55		1520	0.036
12		33	0.524	56		1647	0.032
13		37/2	0.036	57		1778	0.012
14		38/4	0.012	58		1879	0.02
15		110	0.178	59		1967/1	0.045
16		114	0.121	60		1970	0.024
17		118	0.158	61		1982	0.012
18		774/1	0.008	62		1983	0.024
19		868/1	0.121	63		1986	0.024
20		901/1	0.053	64		2002	0.032
21		970	0.121	65		6	0-093
22		973	0.105	66		22/1	0-069
23		976/1	0.028	67		25	0-190
24		978/2	0.077	68		43	0-117
25		979/1क	0.029	69		45	0-049
26		986	0.158	70		46	0-065
27		999	0.016	71		48	0-028
28		1000	0.036	72		50	0-053
29		1002	0.04	73		56	0-023
30		1003	0.081	74		64	0-162
31		1004	0.045	75		65	0-077
32		1006/1	0.125	76		66	0.105
33		1009	0.02	77		73	0.049
34		1017	0.032	78		79	0.198
35		1018	0.053	79		111	0.121
36		1019	0.251	80		116	0.065
37		1020	0.032	81		117	0.073
38		1024	0.012	82		118	0.158
39		1025	0.032	83		138/2	0.061
40		1028	0.04	84		141	0.040
41		1038	0.057	85		974	0.036
42		1109/1	0.040	86		1229/2	0.081
43		1292/2	0.032	87		1439/2/मिन.6	0.077
44		1300	0.065			कुल किता सतासी	
1	सर्रा	2	2.86	53	सर्रा	265	0.17
2		3	1.16	54		288	0.05
3		5	2.50	55		293	0.02
4		6	0.68	56		318	0.20

5		7	1.39	57		330	0.08
6	सर्रा	8	2.76	58	सर्रा	340	0.10
7		9	2.18	59		399	0.49
8		10	2.76	60		403/1	0.25
9		11	5.43	61		419	0.02
		12	0.30	62		481	0.08
11		15	0.10	63		614	0.07
12		16	1.03	64		813	0.02
13		17	0-03	65		856	0.03
14		19	4.97	66		857	0.04
15		22	0.54	67		902	0.11
16		23	0.01	68		903	0.05
17		25	0.35	69		906	0.16
		28	0.25	70		909	0.10
19		30	0.03	71		910	0.11
20		32	3.58	72		911	0.13
21		33	1.56	73		912	0.06
22		35	1.79	74		936	0.02
		36	0.08	75		938	0.05
24		41	0.11	76		117	1.02
25		101	0.58	77		219	0.14
26		103	0.04	78		220	0.17
27		104	0.56	79		252	2.05
28		116	1.07	80		316	0.04
29		168	0.25	81		547	0.07
30		171	0.49	82		730	0.06
31		179	1.36	83		731	1.10
32		180	0.38	84		732	0.29
33		181	2.49	85		734	0.64
34		182	3.69	86		742	0.70
35		183	2.68	87		746	0.98
36		184	1.06	88		747	0.25
37		185	0.06	89		748	0.47
38		235	0.21	90		759	0.09
39		236	0.36	91		772	0.82
40		237	0.05	91		821	0.25
41		238	0.62	93		823	0.52
42		239	0.03	94		827	0.23
43		240	0.07	95		848	0.03
44		241	0.72	96		854	0.43
45		242	0.64	97		855	0.10
46		244	0.91	98		858	0.11
47		960	0.72	99		943	0.36
48		961	0.34	100		950	0.29

49		963	0.24	101		953	0.17
50	सर्रा	984	1.91	102	सर्रा	955	0.90
51		257	0.04	103		958	1.90
52		264	0.04	104		959	0.99
					कुल किता	एक सौ चार	
	तहसील	रामपुर नैकिन					
1	बेलकेसरी	5	0.23	41	बेलकेसरी	290/2	0.04
2		6	0.60	42	"	290/2	0.04
3	"	14	0.76	43	"	297/2	0.01
4	"	15	0.13	44	"	314	0.70
5	"	44	0.16	45	"	316	0.10
6	"	50	2.95	46	"	318	0.04
7	"	79	0.10	47	"	320	0.38
8	"	89	5.15	48	"	321	0.26
9	"	107	0.18	49	"	323	0.15
10	"	112	0.15	50	"	324	0.03
11	"	117	0.03	51	"	326	0.15
12	"	118/1	0.16	52	"	327	0.36
13	"	160/2	0.02	53	"	352	0.17
14	"	162/2	0.03	54	"	361	0.17
15	"	163/2	0.09	55	"	364	0.11
16	"	188	0.10	56	"	365	1.79
17	"	189	0.07	57	"	375/1	0.36
18	"	194	0.15	58	"	377	0.02
19	"	208	0.91	59	"	379/2	0.21
20	"	211	0.11	60	"	380	0.19
21	"	212/2	0.01	61	"	383/1	0.45
		213/2	0.01	62	"	386/2	0.48
23	"	214/2	0.06	63	"	395	0.05
24	"	218/1	2.71	64	"	397	0.17
25	"	220	0.63	65	"	430	0.35
26	"	222/2	0.02	66	"	434	0.75
		223	0.05	67	"	440	0.58
28	"	224/2	0.01	68	"	441	0.69
29	"	229	0.05	69	"	442	1.00
30	"	230	0.05	70	"	448	0.14
31	"	247	0.05	71	"	449	0.17
32	"	251/2	0.01	72	"	452/मिन-1	0.72
33	"	261/2	0.11	73	"	453	0.39
34	"	263/2	0.13	74	"	456/ मिन-1	12.24
35	"	280/2	0.03	75	"	457	0.04
36	"	281/2	0.09	76	"	458	0.30
37	"	283/2	0.05	77	"	459	0.40
38	"	284/2	0.06	78	"	460	0.40
39	"	286/2	0.01	79	"	461	0.80

40	..	288/2	0.04		कुल	किता उन्यासी	
1	मुर्तला कोठार	36	0.081	20	मुर्तला कोठार	355	0.162
2	..	38/2	0.036	21	..	356/1	0.607
3	..	40/2	0.077	22	..	356/2	0.202
4	..	41/2	0.121	23	..	357	0.421
5	..	42/2	0.061	24	..	358	0.081
6	..	167/2	0.069	25	..	362	0.178
7	..	218/1	0.428	26	..	363	0.539
8	..	219	0.044	27	..	495	0.235
9	..	220	0.368	28	..	580	0.704
10	..	346	0.134	29	..	620	1.376
11	..	347	0.198	30	..	624	0.199
12	..	348/1	0.324	31	..	633	0.061
13	..	348/2	0.162	32	..	720	0.024
14	..	349	0.235	33	..	763	0.178
15	..	350	0.445	34	..	768	0.295
16	..	351	0.725	35	..	782	0.263
17	..	352	0.142	36	..	787	0.166
18	..	353	0.219	37	..	791	0.089
19	..	354	0.04	38	..	817	0.121
						कुल किता अइतीस	
1	मुर्तला पवाई	33/1/2	0.02	19	मुर्तला पवाई	170	2.514
2	..	36/2	0.31	20	..	171	0.925
3	..	37/1/1/2	0.26	21	..	200/2	0.050
4	..	74/2	0.192	22	..	201/2	0.200
5	..	75/2	0.048	23	..	202/1/2	0.150
6	..	76/3/2	0.031	24	..	202/2/2	0.150
7	..	78/2/2	0.048	25	..	218/2	0.090
8	..	78/3/2	0.031	26	..	219/2/2	0.070
9	..	86/2/2	0.235	27	..	223	0.024
10	..	87/1/2	0.100	28	..	226/2	0.080
11	..	87/2/2	0.101	29	..	227/2	0.050
12	..	111	0.121	30	..	228/2	0.030
13	..	153/2	0.170	31	..	229/2	0.076
14	..	160/1/2	0.110	32	..	247/2	0.120
15	..	161/2	0.101	33	..	248/2	0.050
16	..	162/2	0.070	34	..	249/1/2	0.048
17	..	167/2	0.154	35	..	250/2	0.115
18	..	169/1	1.113			कुल किता पैतीस	
1	कोदईडाड	2	0.23	15	कोदईडाड	72	0.18
2	..	4	0.15	19	..	73	0.58
3	..	6	0.08	20	..	104	0.03
4	..	8	0.17	21	..	126	0.23
5	..	9	0.04	22	..	139	0.31
6	..	10	0.28	23	..	159	0.42

.7	कोदईडाड़	17	0.14	24	कोदईडाड़	173	0.10
8	"	20	0.4	25	"	178	0.28
9	"	25	0.46	26	"	179	0.30
10	"	30	0.04	27	"	182	0.18
11	"	40	0.04	28	"	187	0.05
12	"	46	0.28	29	"	191	0.34
13	"	47	0.05	30	"	196/1	0.23
14	"	48	0.24	31	"	206	0.57
15	"	53	0.53	32	"	208	0.35
16	"	58	0.67	33	"	211	0.18
17	"	62	1.22			कुल किता तैतीस	
				1	विहरियाटोला	127	6.839
1	रामपुर	19/1	4.429	2	"	128/2	0.04
2	"	23	0.946	3	"	131	2.832
3	"	74	0.0.65	4	"	132	3.675
4	"	140	9.790	5	"	33	0.162
5	"	144	0.575			कुल किता पाँच	
6	"	352	1.991	1	रायखोर	774	1.214
7	"	353/1	5.293	2	"	1305/1	3.027
		कुल किता सात		3	"	1305/2	0.405
				4	"	1305/4	0.405
						कुल किता बार	

दिलीप कुमार, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 दिसम्बर 2018

रा. प्र. क्र. 05-अ-82-2017-2018-भू-अर्जन.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा.2ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	ग्राम-भांडखापा प.ह.न.-58, ब. न.-429, रा.नि.मं.- मोहखेड़.	1. रमेश पिता किसनू किरार, निवासी ग्राम भूमिस्वामी. 2. कुशमा पुत्री उत्तम किरार, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	378 377/1	0.032 0.036	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
					कुल योग . .	0.132

- (2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 21 दिसम्बर 2018

पत्र क्र. 821-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम —भनमार
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 1.566 हेक्टर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	368	0.032	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	369	0.070	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	365	0.060	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	363	0.036		की टेल माईनर (बांयी तरफ)
5	362	0.024		निर्माण हेतु.
6	361	0.010		
7	360/1	0.007		
8	359	0.002		
9	348	0.010		
10	355	0.010		
11	352	0.001		
12	354	0.005		
13	356	0.026		
14	349	0.090		
15	350	0.090		
16	327	0.020		
17	324	0.060		
18	325	0.040		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	262	0.025		
20	261	0.080		
21	263	0.020		
22	264	0.020		
23	265	0.004		
24	266	0.001		
25	260	0.110		
26	357	0.029		
27	256	0.012		
28	255	0.005		
29	258/1	0.008		
30	250	0.110		
31	216	0.032		
32	219	0.030		
33	213	0.001		
34	217	0.045		
35	212	0.080		
36	203	0.070		
37	205/1	0.070		
38	205/2			
39	206	0.008		
40	204	0.012		
41	202	0.001		
42	257	0.045		
43	215	0.020		
44	257	0.045		
45	358	0.040		
46	364	0.050		
	योग . .	1.566		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 823-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम —भटिगवाँ
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.669 हेक्टर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	161	0.040	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	163	0.055	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	164	0.009	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	165	0.035		की टेल माईनर (बांयी तरफ)
5	175/1	0.012		निर्माण हेतु.
6	180	0.060		
7	181	0.004		
8	182	0.002		
9	178	0.060		
10	201/1			
11	201/2	0.040		
12	201/3			
13	200	0.015		
14	202	0.085		
15	199/1	0.070		
16	199/2			
17	197	0.030		
18	101	0.035		
19	98	0.003		
20	99	0.024		
21	100	0.090		
		योग . . .		
		0.669		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 825-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—बहरी
- (ग) ग्राम —पैगमा आबाद
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.515 हेक्टर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	162/1	0.240	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	164	0.070	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	163	0.055	(म. प्र.)	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	245	0.110		की टेल माईनर (दायी तरफ)
5	244	0.040		निर्माण हेतु.
		योग . . .	0.515	

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 827-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम —गोड़ाही
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.584 हेक्टर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1005	0.074	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	1004	0.035	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	1013	0.020	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	1007/3	0.018		की टेल माईनर (बांयी तरफ)
5	1012	0.003		निर्माण हेतु.
6	1011/2	0.044		
7	1011/1	0.100		
8	1010	0.018		
9	1021	0.080		
10	1020	0.164		
11	1026	0.020		
12	1023	0.004		
13	1019/1	0.004		
		योग . . .	0.584	

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.
 (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
 (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
 (5) यह सूचना सर्व-संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 829-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम —अमडिहा
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 1.296 हे.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	564	0.020	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	113	0.028	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	95	0.001	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	90/1	0.130		की टेल माईनर (बांयी तरफ)
5	129	0.003		निर्माण हेतु.
6	120	0.100		
7	118/1	0.044		
8	106	0.007		
9	115	0.080		
10	114	0.032		
11	109/1	0.040		
12	124	0.088		
13	499/1	0.028		
14	499/2			
15	498/1	0.140		
16	497	0.060		
17	496/1	0.076		
18	490	0.070		
19	491	0.024		
20	492	0.023		
21	493	0.010		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22.	486	0.260		
23.	110	0.032		
		योग . . .	1.296	

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 831-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम —पड़रिया
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.470 हे.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	261	0.050	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	256	0.190	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	265	0.080	(म. प्र.)	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	262	0.090		की टेल माईनर (दांयी तरफ)
5	264	0.060		निर्माण हेतु.
		योग . . .	0.470	

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 833-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—बहरी
- (ग) ग्राम —देवगवाँ
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.857 हे.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	331	0.019	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	329	0.012	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	330	0.030	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	328	0.002		की टेल माईनर (बांयी तरफ)
5	327	0.023		निर्माण हेतु.
6	325	0.160		
7	323	0.001		
8	322	0.008		
9	321	0.064		
10	320	0.050		
11	318	0.003		
12	319	0.010		
13	316	0.020		
14	317	0.001		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	363	0.004		
16	314	0.001		
17	315	0.010		
18	300	0.038		
19	301	0.001		
20	362	0.032		
21	298	0.070		
22	364	0.075		
23	365	0.160		
24	366	0.056		
25	370	0.001		
26	299	0.006		
योग . .		0.857		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 835-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम —चोराही
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 1.135 हेक्टर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	486	0.160	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	484	0.060	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	657	0.160	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण)के मुख्य नहर
4	664	0.040		की टेल माईनर (दांयी तरफ)
5	665	0.030		निर्माण हेतु.
6	666	0.020		
7	653	0.080		
8	667	0.110		
9	656	0.120		
10	485/1	0.030		
11	385	0.050		
12	383	0.040		
13	382/1			
14	382/2	0.050		
15	381	0.040		
16	380	0.010		
17	379	0.030		
18	377	0.030		
19	487	0.050		
20	488	0.010		
21	669	0.015		
योग . .		1.135		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 837-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व

मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम—मौहरिया
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 1.106 हेक्टर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	322	0.016	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	290	0.016	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	290/1		(म. प्र.).	(द्वितीय चरण)के मुख्य नहर
4	292/2	0.050		की टेल माईनर (बांयी तरफ)
5	273/1	0.002		निर्माण हेतु.
6	269	0.020		
7	223/1	0.015		
8	226	0.004		
9	227	0.010		
10	228	0.002		
11	244/1	0.003		
12	231	0.004		
13	232	0.016		
14	233	0.038		
15	235	0.020		
16	312	0.040		
17	300	0.100		
18	299	0.080		
19	280	0.004		
20	278	0.050		
21	292	0.016		
22	279	0.010		
23	277	0.010		
24	275	0.009		
25	274/1	0.040		
26	274/2			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	267	0.030		
28	268	0.050		
29	265	0.100		
30	242	0.050		
31	241	0.050		
32	230	0.040		
33	240	0.025		
34	239	0.030		
35	238	0.060		
36	237	0.056		
37	236	0.040		
योग . .		1.06		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 839-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—बहरी
- (ग) ग्राम —चोराही

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 3.277 हे.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	497	0.090	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	495/1		संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	495/2	0.260	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण)के मुख्य नहर
4	495/3			की टेल माइनर (बांयी तरफ)
5	353	0.160		निर्माण हेतु.
6	352	0.057		
7	351	0.060		
8	350	0.045		
9	360	0.012		
10	361/1	0.110		
11	361/2			
12	371	0.027		
13	372	0.030		
14	354	0.060		
15	503	0.040		
16	498	0.100		
17	501	0.300		
18	508/1	0.090		
19	508/2	0.200		
20	509/2/1			
21	509/2/2	0.100		
22	578	0.165		
23	579	0.020		
24	580	0.170		
25	583/1			
26	588/2			
27	583/3	0.040		
28	583/4			
29	583/5			
30	569/1			
31	569/2			
32	569/3	0.036		
33	569/4			
34	569/5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	568/1			
36	568/2			
37	568/3	0.038		
38	568/4			
39	568/5			
40	567/1/1			
41	567/1/2			
42	567/1/3	0.180		
43	567/1/4			
44	567/1/5			
45	541/1			
46	541/2	0.040		
47	541/3			
48	541/4			
49	542	0.010		
50	543/1			
51	543/2	0.060		
52	543/3			
53	544/1			
54	544/2	0.178		
55	544/3			
56	545	0.016		
57	591	0.004		
58	546/1			
59	546/2	0.150		
60	558	0.070		
61	559	0.004		
62	557/1			
63	557/2	0.020		
64	556	0.065		
65	582	0.090		
योग . .		3.277		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व-संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 841-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम —भनमारी
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 1.425 हे.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	723	0.035	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	725	0.020	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	726	0.025	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण)के मुख्य नहर
4	727	0.001		की टेल माइनर (बांयी तरफ)
5	729	0.020		निर्माण हेतु.
6	739	0.090		
7	743	0.030		
8	709	0.060		
9	710	0.010		
10	707	0.070		
11	708	0.025		
12	700	0.001		
13	699	0.070		
14	679	0.050		
15	678	0.060		
16	680	0.050		
17	681	0.030		
18	675	0.001		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	682	0.020		
20	674	0.020		
21	673	0.010		
22	649	0.010		
23	671	0.060		
24	470	0.110		
25	473	0.050		
26	497	0.020		
27	495	0.107		
28	496	0.060		
29	510	0.008		
30	507	0.060		
31	531	0.004		
32	532	0.030		
33	530	0.015		
34	540	0.040		
35	529	0.008		
36	524	0.001		
37	523	0.050		
38	522	0.004		
39	520	0.015		
40	526	0.002		
41	527	0.050		
42	528	0.015		
43	529	0.008		

योग . . . 1.425

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व-संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 843-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम —करकचहा जगदीश
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.210 हे.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	18	0.040	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	17	0.070	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	12	0.058	(म. प्र.)	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	13	0.020		की टेल माईनर (बांयी तरफ)
5	14	0.002		निर्माण हेतु.
6	10	0.020		
		योग . . . 0.210 हैक्टेयर		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 845-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी
(ग) ग्राम —करकचहा गयादीन
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.490 हे.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	58	0.010	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	59	0.250	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	61	0.090	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	62	0.140		की टेल माईनर (बांयी तरफ) निर्माण हेतु.
		योग . . .	0.490	

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 847-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन

की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम—पैगमा वीरान
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.860 हे.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	70	0.020	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	69	0.020	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	71	0.182	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	72	0.143		की टेल माईनर (दांयी तरफ)
5	73	0.010		निर्माण हेतु.
6	77	0.160		
7	76	0.016		
8	80	0.010		
9	74	0.010		
10	82	0.178		
11	85	0.011		
12	83	0.100		
		योग . . .		
		0.860		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 849-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम —मटिहनी
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 1.283 हेक्टेयर

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	451	0.200	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	425	0.030	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	445	0.120	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	443	0.210		की टेल माईनर (दांयी तरफ)
5	442	0.090		निर्माण हेतु.
6	457	0.060		
7	441	0.010		
8	462	0.040		
9	461	0.030		
10	538	0.020		
11	539	0.050		
12	529	0.080		
13	525/1	0.070		
14	528	0.260		
15	527/1	0.010		
16	540/2			
17	540/3	0.003		
18	540/3			
19	540/3			
योग . . .		1.283		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 851-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—बहरी
- (ग) ग्राम —मौहार
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 1.287 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	658	0.100	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	571	0.180	संभागा सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	568	0.020	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	565	0.060		की टेल माईनर (बांयी तरफ)
5	566	0.001		निर्माण हेतु.
6	569	0.100		
7	629	0.010		
8	630	0.001		
9	631	0.002		
10	632	0.017		
11	633	0.060		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	634	0.003		
13	699	0.017		
14	700	0.022		
15	701	0.020		
16	702	0.014		
17	708	0.022		
18	709	0.030		
19	710	0.030		
20	698	0.130		
21	643	0.024		
22	644	0.004		
23	645/1	0.020		
24	625	0.100		
25	624	0.025		
26	626	0.001		
27	646	0.004		
28	697	0.080		
29	649	0.080		
30	648	0.008		
31	641	0.002		
32	650	0.006		
33	651	0.004		
34	574	0.050		
35	575	0.030		
36	576	0.002		
37	642	0.008		
	योग . .	1.287		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 853-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी
(ग) ग्राम —बैरिहा पैपखरा
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.400 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	77	0.120	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	83	0.120	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	86	0.160	(म. प्र.)	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
		योग . . . 0.400		की टेल माईनर (बांयी तरफ) निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 855-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य

नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी
(ग) ग्राम—देवरी
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 1.84 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	223	0.260	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	222	0.004	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	224	0.070	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	226	0.160		की टेल माईनर (दांयी तरफ)
5	227	0.100		निर्माण हेतु.
6	230	0.150		
7	207	0.110		
8	206	0.008		
9	204/1	0.208		
10	202	0.014		
		योग . . .	1.084	

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है।
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक, नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
(5) यह सूचना सर्वसंबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 857-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलग्न सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध

है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम —बहेरा
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 1.386 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	114	0.080	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	110	0.020	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	111	0.070	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	112	0.030		की टेल माईनर (दांयी तरफ)
5	113	0.032		निर्माण हेतु.
6	104	0.010		
7	105	0.045		
8	106	0.080		
9	88	0.020		
10	87	0.048		
11	82/2	0.018		
12	140	0.050		
13	141	0.044		
14	63	0.059		
15	60	0.030		
16	59	0.030		
17	55	0.011		
18	56	0.044		
19	160	0.005		
20	159	0.050		
21	162	0.030		
22	163	0.035		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	165	0.052		
24	166	0.020		
25	176	0.110		
26	275	0.080		
27	305/1	0.030		
28	302	0.025		
29	300	0.058		
30	297	0.020		
31	299	0.004		
32	298	0.028		
33	288	0.049		
34	164	0.008		
35	175/2	0.020		
36	274	0.001		
37	276	0.040		

योग . . . 1.386

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्वसंबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 859-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध

में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी
(ग) ग्राम—बैरिहा कोठार
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.217 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	95	0.030	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	96	0.007	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	98	0.090	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	99	0.070		की टेल माईनर (बांयी तरफ)
5	103	0.020		निर्माण हेतु.
		योग . . .	0.217	

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्वसंबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 861-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम — धुम्मा

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.967 हेक्टेयर

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	216	0.004	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	212	0.080	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	202	0.085	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	201/1	0.050		की टेल माईनर (दांयी तरफ) निर्माण हेतु.
5	201/2			
6	200/1	0.053		
7	181	0.036		
8	183	0.007		
9	180/1	0.033		
10	184	0.050		
11	185	0.111		
12	188	0.030		
13	258/1	0.005		
14	259	0.113		
15	217	0.080		
16	221	0.120		
17	187	0.110		

योग . . . 0.967 हेक्टेयर

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्वसंबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 863-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के

प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम—कुशियारी
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.065 हेक्टेयर

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	445	0.340	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	414/2/ख	0.070	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	417/1/1	0.015	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	390/719	0.110		निर्माण हेतु.
5	391/720	0.110		
6	365	0.001		
7	366	0.140		
8	363	0.007		
9	424	0.012		
10	387	0.210		
11	399	0.020		
12	392/721	0.030		

योग . . . 1.065 हेक्टेयर

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्वसंबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 865-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम—कचरी
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.322 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	47	0.010	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	46	0.018	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	45	0.050	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	41/1	0.050		की टेल माईनर (बांयी तरफ)
5	41/2			निर्माण हेतु.
6	41/102	0.003		
7	42	0.001		
8	39/1	0.025		
9	39/2			
10	40	0.002		
11	43/1	0.025		
12	43/2			
13	37	0.045		
14	35	0.013		
15	36	0.028		
16	31/1	0.048		
17	31/2			
18	30	0.004		
		<u>योग . . .</u>		
		0.322		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

प्रकरण क्र. 01-अ-82-वर्ष2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (1) एवं (12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	(5)	(6)
(1) होशंगाबाद	(2) पिपरिया	(3) बाँसखेड़ा	(4) 0.276	(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पिपरिया.	(6) ग्राम बाँसखेड़ा में रेल्वे क्रॉसिंग क्र. 238 शासकीय पिपरिया-जबलपुर मार्ग में ओव्हर ब्रिज (सेतु) निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—ग्राम बाँसखेड़ा में रेल्वे क्रॉसिंग क्र. 238, शासकीय पिपरिया-जबलपुर मार्ग में ओव्हर-ब्रिज (सेतु) निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, पिपरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 2 जनवरी 2019

प्र. क्र. 06-2018-भू-अर्जन-एम.पी.ई.बी.-देवपुरमाफी.—भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अंतर्गत)

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन (श्योपुर जिला एवं इसके आस-पास के क्षेत्र में सतत एवं उच्च गुणवत्ता की विद्युत प्रदाय करना) के लिये ग्राम देवपुरमाफी, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना में कुल 0.0837 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है.

अतः, जिला मुरैना, तहसील सबलगढ़ के ग्राम देवपुरमाफी में उक्त परियोजना के लिये 0.0837 हैक्टेयर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है :—

अनुसूची

क्र.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हे. में.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	20 मिन-3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.0837	श्रीमती उमा देवी पत्नि ब्रह्मानंद, जाति ब्राह्मण, निवासी देवपुरमाफी सबलगढ़.

यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गयी है.

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय, जिला मुरैना में और कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सबलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीगण को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य में उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे.

प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. 487-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—महाराजपुर
(घ) क्षेत्रफल—0.418 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
253/3	0.418
निजी खाता भूमि योग . .	0.418

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—महाराजपुर बांध निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 दिसम्बर 2018

क्र. 10711-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा

यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चांद
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—चांद, प.ह.नं. 24, ब.नं. 80, रा.नि.मंडल—चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल रकबा 04.508 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
173/3, 174/3	0.122
176/3, 178/1, 176/1	0.102
176/7, 178/2	0.128
173/6, 174/6, 176/8	0.112
176/4, 177, 186/2	0.120
156/4, 175/4	0.080
187/1, 188/1	0.136
205/4/1	0.208
206/8	0.160
205/1	0.205
205/3	0.088
206/21, 206/22, 222/11-12, 223/15-16-17	0.112
206/20, 222/1 ख, 223/10-11 ख	0.065
206/1क, 207/1/1	0.018
222/5क	0.035
222/22, 223/1	0.060
222/8, 223/12-13, 224/4	0.055
222/16	0.032
206/25-26, 222/7-17, 223/20	0.064
222/4-19	0.033
206/6, 206/24, 222/2	0.042
206/11-12, 206/27, 206/28,	0.030
211/2, 222/20	
222/15, 223/18, 206/7, 206/13.	0.027
223/25, 557/1ड	0.029
223/27, 557/1छ	0.029
223/26, 557/1च	0.029
223/24, 557/1घ	0.029

(1)	(2)
223/5, 557/1 ग	0.029
225/2	0.020
226	0.074
227	0.120
228/1ख, 558/1ख	0.240
228/2, 558/3	0.048
566/1, 564/1	0.060
566/2, 564/2	0.080
488/8, 552/1	0.030
488/1, 488/2, 488/6	0.096
488/7/1/1	0.090
490/2, 545/1	0.138
540/1	0.106
540/2	0.090
506/2	0.076
506/1	0.080
508/5	0.038
508/3	0.065
529/1	0.118
528/1ख-2 ख	0.048
528/1क, 528/2	0.070
527/1	0.070
625/1, 624/2, 626/1	0.064
624/1, 625/1	0.048
624/11	0.050
624/9	0.085
624/5, 626/3	0.062
648/1	0.058
448/2	0.048
648/3	0.020
648/4	0.025
649/1	0.064
649/2	0.048

योग . . कुल रकबा 04.508 हेक्टर एवं
प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दायी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर एवं 16 एल माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र.

शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई-जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दायी तट नहर उपसंभाग, क्रमांक 01, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 दिसम्बर 2018

क्र. 10762-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चांद
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सिंगोड़ीटोला, प.ह.नं. 37, ब.नं. 279, रा.नि.मंडल-चांद.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—
कुल रकबा 0.861 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
11/10	0.040
105/6, 105/9, 110/1	0.086
110/2	0.042
110/3	0.012
111/2	0.020
105/14, 109/2, 111/1	0.080
109/3, 105/13	0.034
105/12, 105/15, 107/1-2,	0.152
108/10, 108/2, 121/1, 121/2	
125	0.025
124/8, 127/2	0.014
124/1, 127/1	0.039
124/5	0.056
260/4	0.045
124/4	0.028
124/9	0.009
124/10	0.009
124/3	0.009
257/4-5, 258/1, 258/2, 259/3	0.028
257/3, 257/6, 258/8, 259/5,	0.028
259/6	
258/7, 259/4	0.028
258/3, 259/1-2	0.028
260/1	0.049

योग . . कुल रकबा 0.861 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पंच व्यवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत खैरघाट उपविस्तरक नहर की माईनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पंच व्यवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग, क्रमांक 02, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 10763-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चांद

(ग) नगर/ग्राम—लोनीकला, प.ह.नं. 28,
ब.नं. 261, रा.नि.मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल कुल रकबा 05.155 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
430/4	0.030
430/3, 431/4, 431/5	0.093
430/6	0.258
429/3	0.034
429/5	0.030
429/6	0.029
429/1	0.032
429/4	0.034
429/2	0.110
425/11, 425/9, 426/4	0.130
425/7, 425/10, 426/1	0.045
425/1 425/2	0.028

(1)	(2)
425/3	0.096
424/1	0.057
439/1	0.005
416/4, 416/5-6	0.130
416/11	0.225
184/1-2-3-4	0.210
414/1-2-3, 415/1-3	0.020
412	0.064
413/1	0.176
403/1, 403/4	0.048
402/1	0.061
401/4	0.052
401/1	0.043
400/1-2-3	0.096
420/4	0.016
197/1	0.048
197/2	0.064
198/1-2-3, 199/1-2-3, 208/3	0.176
424/2	0.054
424/4	0.062
141/1	0.072
139	0.024
422/1	0.056
422/2	0.072
421	0.088
419/1-2-3	0.048
420/2	0.064
164/1	0.080
164/2	0.056
163/3/2	0.023
163/1/2	0.016
163/5	0.020
161/2, 162/2	0.072
163/2, 152/1, 153/1, 154/1, 155, 156, 160/2	0.132
152/2, 153/2, 154/2, 160/1, 161/1, 162/1	0.144
124/5	0.004
413/2	0.072
185/3	0.040
185/1	0.040
133/8, 186/1, 190/2	0.032
186/2, 190/3	0.080
187	0.120
189/8, 192/3	0.019
189/3, 189/4	0.048
141/2	0.016
140	0.072
224/1/2/3	0.080
225/3	0.192

(1)	(2)
266/3, 267/2	0.018
265/4	0.024
265/7	0.031
265/5	0.029
264	0.062
260/2, 260/3	0.036
265/1/1	0.090
265/1/2	0.010
271/1	0.080
272/1	0.073
274/2	0.057
274/3	0.057
277/1, 278/1, 279/1	0.080
436/1	0.030
436/2	0.100
436/14	0.040

योग . . कुल रकबा 05.155 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत खैरघाट उपविस्तरक नहर की माईनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग, क्रमांक 02, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.